राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर राजस्थान (भारत)
(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी)
(सीआईएनयू 40109 आरजे 2000 एसजीकं. 16485)
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (एनपीपीएण्डआर)
दूरभाष :– 0141–2744290 ई मेलः se_npp@rvpn.co.in

क्र. आरवीपीएन / एसई(एनपीपीएण्डआर)एक्सईएन(एनपीपी–4 / प्रे. 1356 दिनांक 27.01.2016

श्रीमान् अभिग्राही अधिकारी,
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग,
विद्युत विनियामक भवन
स्टेट मोटर गैरेज के समीप,
सहकार मार्ग, जयपुर – 302001

विषय – वर्ष 2014–15 के लिए राविप्रनि तथा राभाप्रेके के ट्रयूअप, विव 2016–17 के वाराआ के अनुमोदन तथा टैरिफ विनिर्धारण हेतु याचिका।

महोदय,

कृपया पत्र के साथ विव 2014–15 के लिए राविप्रनि तथा राभाप्रेके के ट्रयूअप, विव 2016–17 की वाराआ के अनुमोदन तथा टैरिफ विनिर्धारण हेतु याचिका संलग्न पायें। याचिका में निम्नलिखित प्रलेख समाहित हैं :

1. याचिका दायर करने हेतु प्राधिकार पत्र।
2. आवेदन को सत्यापित करते हुये शपथ पत्र
3. विव 2014–15 के वार्षिक लेखों के साथ विव 2014–15 के लिए ट्रयूअप तथा विव 2016–17 के लिए राविप्रनि व राभाप्रेके की वाराआ / टैरिफ याचिका
4. राभाप्रेके याचिका हेतु शुल्क के प्रति 1,00,000 / – रू. की राशि का चैक सं. 760214 दिनांक 25.01.2016

संलग्न - उपरोक्तानुसार (1+ 6)

ह. / –
(ए. के. मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (एनपीपीएण्डआर)
कृते राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
जयपुर

याचिका की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रस्तुत / अग्रेषित है :
1. श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राविउनि, जयपुर।
2. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक (अविविनिलि / जोविविनिलि / जविविनिलि),अजमेर / जोधपुर / जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक (वित्त), राविप्रनि, जयपुर।
4. श्रीमान् मुख्य लेखा नियंत्रक, राविप्रनि, जयपुर।

ह. / –
(ए. के. मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (एनपीपीएण्डआर)
कृते राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
जयपुर

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

याचिका सं.

टैरिफ विनियम 2014 के अनुसार विव 2014–15 के लिए ट्रूअप तथा विव 2016–17 के लिए राविप्रनि तथा राभाप्रेके की वाराआ के अनुमोदन तथा टैरिफ विनिर्धारण हेतु याचिका के मामले में

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड — याचिकाकर्ता

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राविउनिलि. व अन्य — प्रतिवादी

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विशिष्टियां	पेज सं.
1	याचिका दायर करने हेतु प्राधिकार पत्र	
2	आवेदन को सत्यापित करते हुये शपथ पत्र	
3	विव 2014–15 के ट्रूअप हेतु याचिका	
4	प्रसारण वाराआ/टैरिफ विव – 17 हेतु याचिका	
5	विव 17 के लिए प्रसारण वाराआ/टैरिफ के अनुमोदन की प्रार्थना	
6	विव 17 के लिए राभाप्रेके हेतु वाराआ/टैरिफ की याचिका	
7	विव 17 के लिए राभाप्रेके हेतु वाराआ/टैरिफ के अनुमोदन की प्रार्थना	
8	निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट	
9	अनुलग्नक 'ए'	
10	अनुलग्नक 'बी'	
11	अनुलग्नक 'सी'	
12	अनुलग्नक 'डी'	
13	अनुलग्नक 'ई'	
14	अनुलग्नक 'एफ'	
15	वाराआ तथा टैरिफ आरूप (राविप्रनि)	
16	वाराआ तथा टैरिफ आरूप (राभाप्रेके)	
17.	अनुलग्नक "जी"	

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत विनियामक भवन, स्टेट मोटर गैराज के समीप,
सहकार मार्ग, जयपुर–302001 के समक्ष

दायरीकरण सं. ....

याचिका सं..............................

विव 2014–15 के लिए ट्रयूअप, विव 2016–17 के लिए राविप्रनि तथा राभाप्रेके की वाराआ के अनुमोदन तथा टैरिफ के विनिर्धारण हेतु याचिका का दायरीकरण

के मामले में

तथा

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर 302005

के मामले में

मैं संजय मल्होत्रा, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राविप्रनि, जयपुर एतदद्वारा श्री अशोक कुमार मेहता पुत्र श्री आर. पी. मेहता, अधीक्षण अभियन्ता (एनपीपीएण्डआर), राविप्रनि, जयपुर, जिनके हस्ताक्षर नीचे सत्यांकित हैं, को उपरोक्त मामले में राविप्रनि का याचिकाकर्ता/आवेदक के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करता हूँ।

ह./--
(अशोक कुमार मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (एनपीपीएण्डआर)

ह./–
(संजय मल्होत्रा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
राविप्रनि, जयपुर।

हस्ताक्षर सत्यांकित
ह./
(संजय मल्होत्रा)

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत विनियामक भवन, स्टेट मोटर गैराज के समीप,
सहकार मार्ग, जयपुर–302001 के समक्ष

याचिका सं..............................

विव 2014–15 के लिए ट्रयूअप, राविप्रनि तथा राभाप्रेके की विव 2016–17 के लिए वाराआ के अनुमोदन तथा टैरिफ के विनिर्धारण हेतु याचिका का दायरीकरण

के मामले में

तथा

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर

के मामले में

याचिका को सत्यापित करते हुये शपथ पत्र :

यह कि –

मैं श्री अशोक कुमार मेहता पुत्र श्री स्व. श्री आर. पी. मेहता, उम्र 59 वर्ष निवासी– 196ए, मालवीय नगर, जयपुर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान व कथन निम्नानुसार करता हूँ–

1. मैं राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का अधीक्षण अभियन्ता (एनपीपीएण्डआर) हूं तथा उपरोक्त मामले में यह शपथ पत्र राविप्रनि के निमित्त करता हूं तथा मैं याचिकाकर्ता द्वारा इसके निमित्त उक्त याचिका दायर करने के लिये विधिवत् प्राधिकृत हूं।
2. संलग्न याचिका के पैराग्राफों में दिये गये विवरण मेरी जानकारी में सत्य हैं तथा दिये गये विवरण वित्त एवं लेखा, परियोजना तथा आयोजना व अनुश्रवण संगठन तथा प्र.एवं.नि. संगठन द्वारा उपलब्ध करवाये गये व संधारित अभिलेखों व सूचनाओं पर आधारित हैं तथा मैं उनके सत्य होने का विश्वास करता हूं।

मैं जनवरी, 2016 के इसे 27 वें दिवस को सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मेरी जानकारी से उपरोक्त शपथ–पत्र की विषय वस्तु सत्य है तथा इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है तथा उससे कोई सारभूत तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर/–
(ए. के. मेहता)
अधीक्षण अभियन्ता (एनपीपीएण्डआर)
राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि., जयपुर

वित्त 2014—15 के लिए

वार्षिक निष्पादन समीक्षा तथा

वित्त 2016—17 के लिए

समग्र राजस्व आवश्यकता के

अनुमोदन तथा टैरिफ विनिर्धारण हेतु

याचिका

मुख्य पाठ तथा आरूप

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जयपुर

जनवरी, 2016

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

दायरीकरण सं. राविविआ–

प्रकरण सं. ....

टैरिफ विनियम 2014 के अनुसार विव 2014–15 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा तथा विव 2016–17 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन तथा टैरिफ विनिर्धारण हेतु याचिका

के विषय में,

याचिकाकर्ता	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड विद्युत भवन, जनपथ जयपुर– 302005
प्रतिवादी	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड विद्युत भवन, जनपथ जयपुर– 302005
	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पावर हाउस, हाथी भाटा अजमेर।
	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड न्यू पावर हाउस, जोधपुर।
	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड विद्युत भवन, जनपथ जयपुर– 302005

विषय वस्तु की सारणी

प्रस्तावना	18
पृष्ठभूमि	18
वार्षिक निष्पादन समीक्षा	22
विव 2014–15 प्रसारण खण्ड के लिए प्रसारण खण्ड की वानिस की ट्रयूइंग–अप	22
प्रसारण व्यय का ट्रयूइंग–अप	22
प्रसारण प्राप्तियों का ट्रयूइंग–अप	28
विव 15 के लिए राभाप्रेके खण्ड के लिए वानिस की ट्रयूइंग–अप	29
राभाप्रेके व्यय का ट्रयूइंग–अप	29
राभाप्रेके राजस्व का ट्रयूइंग–अप तथा निवल ट्रयूइंग–अप	33
राविप्रनि की अनुमोदित वाराआ में विचलनों का सारांश तथा विव 2014–15 के वार्षिक लेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े	33
विव 2016–17 को अग्रेनीत किये जाने के लिए निवल ट्रयूइंग–अप राशि	35
विव 2014–15 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षान्तर्गत प्रार्थना	35
डिस्कॉमों तथा खुले अभिगमन के लिए प्रसारण हेतु वाराआ तथा टैरिफ	37
राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र	37
राविप्रनि तन्त्र पर ऊर्जा प्रसारण	38
राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तंत्र में प्रसारण हानि	39
राविप्रनि प्रसारण निवेश व वित्त पोषण योजना	39
प.एवं.सं. व्यय	41
ह्रास प्रभार	42
ऋणों, कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	42
बीमा प्रभार	43
अन्य मद	43
अल्पकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व	44
गैर–टैरिफ आय	44
साम्या पर प्रतिफल	45
प्रसारण के लिए राजस्व आवश्यकता	45
विव 16 के लिए प्रसारण व्ययों की समग्र वसूली	46

डिस्कॉमों तथा खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से प्रसारण प्रभारों की वसूली	47
अल्पकालीन खुले अभिगमन तथा विद्युत विनिमय संव्यवहारों के लिए प्रसारण प्रभार	48
प्रसारण की प्रार्थना	49
भाग–3 : विव 17 के लिए राभाप्रेके प्रभारों की वसूली	51
राभाप्रेके निवेश तथा वित्त पोषण योजना	51
प. एवं. सं. व्यय	51
ह्रास प्रभार	51
ब्याज प्रभार	52
राभाप्रेके परिचालन व्यय	52
साम्या पर प्रतिफल	53
राभाप्रेके राजस्व आवश्यकता	53
राभाप्रेके व्ययों की वसूली	54
राभाप्रेके की प्रार्थना	55
दिनांक 14.08.2015 के टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना की स्थिति	57

सारणियों की सूची

भाग–1	**विव 2014–15 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा**	
सारणी–1	विव 15 के लिए प्रसारण के वास्तविक प.एवं.सं. व्ययों का ब्यौरा	23
सारणी–2	विव 2014–15 के लिए प्रसारण के प्रासमिक प.एवं.सं. व्यय	23
सारणी–3	विव 2014–15 के लिए ट्रयूअप हेतु विचार किये जाने योग्य प.एवं.सं. व्यय	24
सारणी–4	विव 15 के लिए प्रसारण हेतु साम्या पर प्रतिफल	25
सारणी–5	विव 2014–15 के लिए अनुमोदित प्रासमिक कार्यशील पूंजी, प्रसारण	25
सारणी–6	विव 15 के लिए प्रसारण व्ययों का ट्रयूअप	26
सारणी–7	विव 15 के लिए अनुमोदित बनाम वास्तविक राजस्व प्राप्तियां	28
सारणी–8	विव 15 के लिए राभाप्रेके के वास्तविक प.एवं.सं. व्ययों का ब्यौरा	30
सारणी–9	विव 2014–15 के लिए अनुमोदित/प्रासमिक कार्यशील पूंजी, राभाप्रेके	30
सारणी–10	विव 15 राभाप्रेके के लिए साम्या पर प्रतिफल	31
सारणी–11	विव 15 के लिए राभाप्रेके के लिए वाराआ का ट्रयूइंग अप	32
सारणी–12	विव 15 के लिए राभाप्रेके के राजस्व का ट्रयूइंग अप	33
सारणी–13	विव 2014–15 के लिए राविप्रनि की अनुमोदित तथा वार्षिक लेखों के अनुसार वास्तविक का सार	34
सारणी–14	विव 2014–15 के लिए राविप्रनि का निवल ट्रयूइंग–अप	34
सारणी–15	विव 2014–15 के लिए डिस्कॉमों से तन्त्र उपलब्धता हेतु प्रोत्साहन	35
सारणी–16	विव 2016–17 में अग्रेणीत हेतु निवल ट्रयूइंग–अप राशि	35
भाग–2	**विव 2016–17 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता तथा प्रसारण प्रभार**	
सारणी–17	राविप्रनि के राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर विद्युत प्रसारण	37
सारणी–18	विव 2016–17 के लिए डिस्कॉमों की ऊर्जा आवश्यकता	37
सारणी–19	राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर प्रत्याशित विद्युत प्रसारण	38
सारणी–20	राविप्रनि तन्त्र पर वास्तविक ऊर्जा प्रसारण	38
सारणी–21	विव 16 एवं विव 17 के लिए राविप्रनि के राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर ऊर्जा प्रसारण निर्धारण	39
सारणी–22	राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण हानि	39

सारणी–23	निवेश तथा वित्त पोषण योजना	40
सारणी–24	निवेश योजना – भौतिक लक्ष्य	40
सारणी–25	प.एवं.सं.	42
सारणी–26	ह्रास प्रभार	42
सारणी–27	ब्याज तथा वित्त प्रभारों की विस्तृतियां	42
सारणी–28	अन्य मद	44
सारणी–29	अल्पकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व	44
सारणी–30	गैर–टैरिफ आय	45
सारणी–31	साम्या पर प्रतिफ़ल	45
सारणी–32	प्रसारण हेतु राजस्व आवश्यकता	45
सारणी–33	प्रसारण टैरिफ से राजस्व आवश्यकता	46
सारणी–34	विव 17 के लिए प्रसारण प्रभार तथा टैरिफ	48
सारणी–35	विव 17 के लिए विद्युत विनिमय एवं अल्पकालीन खुले अभिगमन हेतु प्रसारण टैरिफ	48
भाग–3	**राभाप्रेके समग्र राजस्व आवश्यकता तथा विव 17 के लिए राभाप्रेके प्रभारों की वसूली**	
सारणी–36	निवेश तथा वित्त पोषण योजना	51
सारणी–37	राभाप्रेके प.एवं.सं. व्यय	51
सारणी–38	ह्रास प्रभार	52
सारणी–39	राभाप्रेके हेतु ब्याज तथा वित्त प्रभारों की विस्तृतियां	52
सारणी–40	राभाप्रेके परिचालन व्यय	53
सारणी–41	साम्या पर प्रतिफल	53
सारणी–42	राभाप्रेके हेतु राजस्व आवश्यकता	53
सारणी–43	विव 17 के लिए राभाप्रेके प्रभार	54
भाग–4	**राविविआ द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2015 के टैरिफ आदेश में जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट**	

सराआ तथा टैरिफ आरूप

प्रसारण

अनुक्रमणिका

क्र.स.	प्रपत्र सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ सं.
1	प्रपत्र– प्र 1	समग्र राजस्व आवश्यकता का सारांश	
2	प्रपत्र– प्र 2	परिचालन एवं संधारण व्यय	
3	प्रपत्र– प्र 3.1	विव 15 के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों तथा ह्रास के लिए प्रावधान	
4	प्रपत्र– प्र 3.2	विव 16 के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों तथा ह्रास के लिए प्रावधान	
5	प्रपत्र– प्र 3.3	विव 17 के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों तथा ह्रास के लिए प्रावधान	
6	प्रपत्र– प्र 4.1	विव 15 के लिए ऋण परिशोधन तथा ब्याज दायित्व	
7	प्रपत्र– प्र 4.2	विव 16 के लिए ऋण परिशोधन तथा ब्याज दायित्व	
8	प्रपत्र– प्र 4.3	विव 17 के लिए ऋण परिशोधन तथा ब्याज दायित्व	
9	प्रपत्र– प्र 5	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	
10	प्रपत्र– प्र 6	बीमा व्यय	
11	प्रपत्र– प्र 7	अन्य मद (अन्य डेबिट, अपलेखन या कोई अन्य मद)	
12	प्रपत्र– प्र 8	साम्या पर प्रतिफल	
13	प्रपत्र– प्र 9	आयकर प्रावधान	
14	प्रपत्र– प्र 10	गैर– टैरिफ आय	
15	प्रपत्र– प्र 11.1	विव 15 के लिए विद्यमान प्रसारण टैरिफ पर राजस्व	
16	प्रपत्र– प्र 11.2	विव 16 के लिए विद्यमान प्रसारण टैरिफ पर राजस्व	
17	प्रपत्र– प्र 11.3	विव 17 के लिए विद्यमान प्रसारण टैरिफ पर राजस्व	
18	प्रपत्र– प्र 12	प्रस्तावित प्रसारण टैरिफ पर प्रत्याशित राजस्व	
19	प्रपत्र– प्र 13	राजस्व सहायिकी तथा अनुदान	
20	प्रपत्र– प्र 14	उपभोक्ता अंशदान, पूंजी सहायिकी तथा अनुदान	
21	प्रपत्र– प्र 15	निष्पादन में प्रस्तावित सुधार	
22	प्रपत्र– प्र 16	प्रसारण हानियां	
23	प्रपत्र– प्र 17	प्रसारित विद्युत का पूर्वानुमान (मि.इ.)	

सराआ तथा टैरिफ आरूप

राभाप्रेके

अनुक्रमणिका

क्र.स.	प्रपत्र सं.	विशिष्टियां	पृष्ठ सं.
1	2	3	4
1	प्रपत्र– एस 1	समग्र राजस्व आवश्यकता का सारांश	
2	प्रपत्र– एस 2	परिचालन एवं संधारण व्यय	
3	प्रपत्र– एस 2.1	कर्मचारी व्यय	
4	प्रपत्र– एस 2.2	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	
5	प्रपत्र– एस 2.3	मरम्मत एवं संधारण व्यय	
6	प्रपत्र– एस 3	कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर ब्याज	
7	प्रपत्र– एस 4	क्षेभाप्रेके शुल्क तथा प्रभार	
8	प्रपत्र– एस 5.1	विव 15 के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों तथा ह्रास के लिए प्रावधान	
9	प्रपत्र– एस 5.2	विव 16 के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों तथा ह्रास के लिए प्रावधान	
10	प्रपत्र– एस 5.3	विव 17 के लिए स्थाई परिसम्पत्तियों तथा ह्रास के लिए प्रावधान	
11	प्रपत्र– एस 6.1	विव 15 के लिए ऋण परिशोधन तथा ब्याज दायित्व	
12	प्रपत्र– एस 6.2	विव 16 के लिए ऋण परिशोधन तथा ब्याज दायित्व	
13	प्रपत्र– एस 6.3	विव 17 के लिए ऋण परिशोधन तथा ब्याज दायित्व	
14	प्रपत्र– एस 7	साम्या पर प्रतिफल	
15	प्रपत्र– एस 8	आयकर प्रावधान	
16	प्रपत्र– एस 9	गैर– टैरिफ आय	
17	प्रपत्र– एस 10	वर्तमान शुल्क तथा प्रभारों से राजस्व का सारांश	

अनुलग्नकों की सूची

अनुलग्नक	विशिष्टियां	पृष्ठ सं.
अनुलग्नक – ए	विव 2014–15 के लिए राविप्रनि प्रसारण तन्त्र द्वारा संचालित प्राक्कलित क्षमता	
अनुलग्नक – बी	विव 15 के दौरान तथा विव 16 के लिए नवम्बर, 2015 तक सम्पादित किये गये अउआ कार्यों के बारे में उपलब्धियां	
अनुलग्नक – सी	भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर दर्शाने वाला विवरण	
अनुलग्नक – डी	दीर्घकालीन खुले अभिगमन प्रयोक्ताओं की सूची	
अनुलग्नक – ई	प्रसारण विचलन विश्लेषण	
अनुलग्नक – एफ	राभाप्रेके विचलन विश्लेषण	
आरूप	वाराआ टैरिफ आरूप (प्रसारण एवं राभाप्रेके)	
अनुलग्नक – जी	निदेशक मण्डल की दिनांक 28.01.2015 की 229 वीं बैठक की प्रतिलिपि	

टिप्पणियां

इस याचिका में :

1. ट्रयूइंग–अप वर्ष से अर्थ है वित्तीय वर्ष 2014–15 (या विव – 15)
2. पिछले वर्ष (एन–1) से अर्थ है वित्तीय वर्ष विव 2014–2015 (या विव–15)
3. चालू वर्ष (एन) से अर्थ है वित्तीय वर्ष विव 2015–2016 (या विव–16)
4. आगामी (एन+1) से अर्थ है वित्तीय वर्ष विव 2016–2017 (या विव–17)
5. जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया जाता है, इस याचिका में प्रयुक्त सभी मौद्रिक आंकड़े, करोड़ रू. में हैं।
6. विद्युत प्रसारण मे.वा. में तथा ऊर्जा दलाइ में व्यक्त किये गये हैं।

परिभाषायें

अधिनियम	विद्युत अधिनियम, 2003
आवेदन/याचिका	यह याचिका वित्त 2014–15 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा तथा ट्रयूअप तथा वित्त 2016–17 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ विनिर्धारण हेतु है।
वितरण कम्पनी/ डिस्कॉम	डिस्कॉम या वितरण कम्पनी का अभिप्राय जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जविविनि), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (अविविनि), जोधपुर वितरण निगम लि. (जोविविनि) सहित उस कम्पनी से होगा जो मुख्यतः अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत के वितरण तथा आपूर्ति के व्यवसाय में वाग्दत् है।
अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (अ.उ.वो)	33 केवी से उच्चतर वोल्टेज स्तर।
उत्तरी क्षेत्र/क्षेत्र	हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों तथा चंडीगढ़ व संघ क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले क्षेत्र
विनियम	राविविआ द्वारा 24 फरवरी 2014 को अधिसूचित राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम 2014 या संक्षेप में राविविआ टैरिफ विनियम, 2014
राज्य	राजस्थान राज्य
राज्य भार प्रेषण केन्द्र (राभाप्रेके)	राविप्रनि का नियन्त्रण कक्ष हीरापुरा (जयपुर) में है जो राज्य प्रसारण तन्त्र के परिचालन के प्रबन्धन तथा राज्य उत्पादन तथा वास्तविक समय आधार पर आहरण के समन्वयन के प्रयोजन से चौबीसों धण्टे संचालि रहता है।

संक्षेपणों की सूची

वाराआ	वार्षिक राजस्व आवश्यकता
भाब्याप्रम	भाखरा ब्यास प्रबन्धन मण्डल
केविप्रा	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
के.वि.वि.आ	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
केउके	केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र
विशस	विद्युत शक्ति सर्वेक्षण
अउवो	अतिरिक्त उच्च वोल्टेज
वि.पु.सं.यो	वित्तीय पुनर्संरचना योजना
वि.व.	वित्तीय वर्ष
वि.व. 15	वित्तीय वर्ष 2014 – 2015
वि.व. 16	वित्तीय वर्ष 2015 – 2016
वि.व. 17	वित्तीय वर्ष 2016 – 2017
स.स्था.आ	सकल स्थाई आस्तियां
भा. स.	भारत सरकार
रा.स.	राजस्थान सरकार
गांसा	गांधी सागर जल विद्युत परियोजना
ग्रिउचौ	ग्रिड उप चौकी
उवो	उच्च वोल्टेज
जयपुर डिस्कॉम/जंविववितिलि	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर डिस्कॉम/जोविविनिलि	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
अजमेर डिस्कॉम/अविविनिलि	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जसा	जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना
भाप्रे/राभाप्रेके	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
लाइ	लाख इकाइयां
द.ला.इ	दस लाख इकाइयां
मेवोए	मेगा वोल्ट एम्पीयर
मे.वा.	मेगावाट
बवटै	बहुवर्षीय टैरिफ

निस्थाआ	निवल स्थाई आस्तियां
उ.क्षे.भा.प्रे.के.	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
खुअ	खुला अभिगमन
पाग्रिकाइलि	पावर ग्रिड कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
सं.भा.ध	संयन्त्र भार धटक
वि.क्र.अ	विद्युत क्रय अनुबन्ध
विवि	विद्युत विनिमय
म.एवं.सं.	मरम्मत एवं संधारण
रा.वि.वि.आ / आयोग	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
राप्रसा	राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना
रा.रा.वि.प्र.नि	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
राविउनि	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
रू. / भा.रू.	भारतीय रूपये
अ.ऊ.स्त्रो.	अक्षय ऊर्जा स्त्रोत
राविविम / मण्डल	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
अन्तरण योजना	राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र सुधार अन्तरण योजना 2000

प्रस्तावना

भाग – 1 विव 2014–15 के लिए राविप्रनि के निष्पादन को टैरिफ विनियम 2014 के प्रावधानों की तर्ज पर होने का चित्रण करता है। राविप्रनि एतदद्वारा विव 2014–15 के दौरान राविप्रनि की माननीय आयोग द्वारा दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के टैरिफ आदेश द्वारा अनुमोदित पूर्वानुमानों की वास्तविक निष्पादन से तुलन करते हुये ट्रयूअप प्रस्तुत करता है।

भाग 2 एवं 3 यह चित्रित करते हैं कि विव 2016–17 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ विनिर्धारण टैरिफ विनियम, 2014 के प्रावधानों की तर्ज पर है। राविप्रनि एतद्द्वारा विव 2016–17 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ विनिर्धारण की याचिका प्रस्तुत करता है।

भाग 4 माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2015 के आदेश में दिये गये निर्देशों की अनुपालना पर रिपोर्ट चित्रित करता है।

पृष्ठ भूमि

i) राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014 निर्धारित करते है कि माननीय आयोग अनुज्ञप्तिधारी के विगत वित्तीय वर्ष अर्थात् 2014–15 की उस वर्ष के वार्षिक निष्पादन की, ऐसे वर्ष के लिए अनुमोदित पूर्वानुमान की वास्तविक आंकड़ो की तुलना में ट्रयूअप करेगा।

ii) राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014 अनुबद्ध करते हैं कि आवेदक आगामी वर्ष के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता, विद्यमान तथा प्रस्तावित टैरिफों से प्रत्याशित राजस्व का पूर्वानुमान प्रस्तुत करेगा तथा आयोग, उत्पादन कम्पनी, प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की, आगामी वर्ष के लिए, सराआ तथा टैरिफ का विनिर्धारण करेगा।

iii) राविविआ (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2009 अनुबद्ध करते हैं कि जहां किसी उत्पादन कम्पनी या किसी अनुज्ञप्तिधारी की समग्र राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ व प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व, बहुवर्षीय टैरिफ ढ़ाँचे के अन्तर्गत आवृत होतस हैं, तो फिर ऐसी उत्पादन कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति है, वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अध्यधीन होंगे।

iv) राविप्रनि ने विव 2015–16 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता क्र. संख्या राविविआ/499/14 31 दिसम्बर 2014 को तथा विव 2013–14 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा 27.03.2015

को प्रस्तुत की, जिसके प्रति माननीय आयोग का अन्तिम आदेश 14 अगस्त 2015 को विव 2015–16 के लिए वाराआ तथा टैरिफ हेतु जारी किया गया था।

v) राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 8 के अनुसार वार्षिक निष्पादन समीक्षा का विषय क्षेत्र अनुज्ञप्तिधारी के निष्पादन की समग्र राजस्व आवश्यकता के अनुमोदित पूर्वानुमान तथा टैरिफ व प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की तुलना करना है तथा इसमें निम्नलिखित शाामिल होंगे :–

(अ) आवेदक के पिछले वित्तीय वर्ष के समग्र राजस्व आवश्यकता के अनुमोदित पूर्वानुमान की ऐसे पिछले वर्ष की अंकेक्षित निष्पादन से तुलना करना तथा अनियंत्रणीय धटकों के प्रभाव को पास थ्रू करने सहित विवेकी जांच के अध्यधीन व्ययों व राजस्व का ट्रयूइंग अप,

(आ) पिछले वर्ष के लिए नियंत्रणीय तथा अनियंत्रणीय धटकों के कारण लाभों व हानियों का परिकलन,

(इ) परिणामी राजस्व गैप/अधिशेष, आयोग के आदेशानुसार समायोजित किया जायेगा।

(ई) आयोग द्वारा समय– समय पर जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा,

(उ) अन्य सुसंगत विस्तृतियां, यदि कोई है।

vi) राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम–6 की आगे और अपेक्षा है कि प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर तक आवेदन करेगा। तथापि, याचिकाकर्ता के अनुरोध पर माननीय आयोग ने पत्र संख्या 1097 दिनांक 08.12.2015 द्वारा याचिका दायर करने हेतु 15 जनवरी 2016 तक की अभिवृद्धि स्वीकृत कर दी है। राविप्रनि ने पत्र सं. 1310 दिनांक 14.01.2016 द्वारा नियत तिथि को 31.01.2016 तक बढ़ाने का आगे और निवेदन किया।

vii) टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुरूप राविप्रनि विव 2014–15 के लिए यह ट्रयूअप आवेदन दायर कर रहा है, जिसमें राविप्रनि ने विव 2014–15 के लिए वास्तविक अंकेक्षित डैटा प्रस्तुत किये हैं। राविप्रनि विव 2014–15 के लिए वास्तविक अंकेक्षित डैटा के साथ ही माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित आंकड़ों से तुलना भी प्रस्तुत कर रहा है। तद्नुसार विव 2014–15 के लिए राजस्व तथा गैप के लिए वास्तविक डैटा भाग– 1 में दिये जा रहे है।

viii) विव 2016–17 के लिए पृथक सराआ दायर करने के प्रयोजन से विव 2016–17 के लिए राविप्रनि के प्रक्षेपित व्यय तथा आय को प्रसारण खण्ड तथा राभाप्रेके प्रकार्यों के मध्य अलग– अलग कर दिया गया है।

ix) याचिकाकर्ता, माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2015 के आदेश में दिये गये निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहा है।

इस याचिका में निम्नलिखित भाग समाविष्ट हैं :

भाग – 1

इस याचिका के भाग–1 में विव 2014–15 के लिए, राविप्रनि के विव 2014–15 के अंकेक्षित लेखों पर आधारित प्रसारण तथा राभाप्रेके का वार्षिक निष्पादन तथा वाराआ के ट्रयूअप की याचिका समाहित है।

भाग – 2

इस याचिका के भाग–2 में विव 2016–17 के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा दीर्घकालीन खुले अभिगमन ग्राहकों सहित दीर्घकालीन प्रयोक्ताओं से प्रसारण प्रभारों हेतु तथा टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत विद्युत विनिमय के माध्यम से ट्रेडिंग सहित अल्पकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए प्रभारों हेतु वाराआ तथा टैरिफ समाहित है।

भाग – 3

इस याचिका के भाग– 3 में, विव 2016–17 के लिए वाराआ तथा क्योंकि राविप्रनि, राजस्थान के राज्य भार प्रेषण केन्द्र का परिचालन कर रहा है, विव 2016–17 हेतु राभाप्रेके प्रभार समाविष्ट हैं। राभाप्रेके प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, खुले अभिगमन ग्राहकों तथा राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र से जुड़े/का उपयोग करने वाले अन्य प्रयोक्ताओं से, टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत, वसूली योग्य हैं।

भाग – 4

माननीय आयोग के दिनांक 14 अगस्त 2015 के अपने आदेश में दिये गये निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट ।

भाग – 1

विव 2014–15 के लिए

वार्षिक निष्पादन समीक्षा

वार्षिक निष्पादन समीक्षा

राविप्रनि के विव 2014–15 के वार्षिक लेखे कम्पनीज् अधिनियम 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित कर लिये गये हैं। कम्पनीज् अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पूरक अंकेक्षण पत्र सं. 1969 दिनांक 14.12.2015 द्वारा जारी किया गया था। राविप्रनि के विव 2014–15 के वार्षिक लेखे तथा निएवंमलेप की रिपोर्ट अनुलग्नक – 1 पर संलग्न है।

प्रसारण तथा राभाप्रेके की वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रभारों के लिए पृथक दायरीकरण की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुये राविप्रनि के विव 2014–15 के वार्षिक लेखे खण्डवार अर्थात् (1) प्रसारण तथा (ii) राभाप्रेके में अलग–अलग कर दिये गये है। खण्डवार विस्तृतियां तुलन पत्र की सारणी 35.5 (पृष्ठ 37–38) पर दी गयी हैं।

ट्रयूअप के प्रयोजन से माननीय आयोग के दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के टैरिफ आदेश द्वारा विव 2014–15 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता के अन्तर्गत अनुमोदित मूल्यों तथा विव 2014–15 के लिए विभिन्न व्ययों के लिए वास्तविक आंकड़ों के बीच शीर्षकवार तुलना की गयी है।

विव 2014–15 **प्रसारण खण्ड की वानिस** का **ट्रयूइंग–अप**

1.1 विव 15 के अंकेक्षित लेखों पर आधारित प्रसारण खण्ड की विव 15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश प्रसारण खण्ड **की** प्रस्तुत की जा रही याचिका के प्रपत्र सं. टी–1 में दिया गया है। दिनांक 09.10.2014 के राविविआ के अनुमोदित आदेश से विचलनों को प्रपत्र टी–12 में विश्लेषित किया गया है।

प्रसारण खण्ड के लिए वाराआ का ट्रयूअप निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत तैयार व विश्लेषित किया गया है :

अ. व्यय का ट्रयूअप

ब. राजस्व प्राप्तियों का ट्रयूअप

प्रसारण व्ययों का **ट्रयूइंग** अप

1.2 प्रसारण व्यवसाय पर वास्तविक प.एवं.सं. व्यय, दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के राविविआ के आदेश में अनुज्ञात 707.20 करोड़ रू. के प्रति 811.43 करोड़ रू. थे। पूंजीकरण के निवलित वास्तविक प.एवं.सं. व्ययों का ब्यौरा नीचे सारणी–1 में दिया गया है।

सारणी 1 : विव 15 के लिए प्रसारण के वास्तविक प.एवं.सं. व्ययों का ब्यौरा (करोड़ रू.)

क्र. स.	विशिष्टियां	अंकेक्षित लेखे विव 15	अभ्युक्ति
1	मरम्मत एवं संधारण	45.25	
2	कर्मचारी लागत		
अ	चालू वर्ष की कर्मचारी लागत	385.55	
ब	अवकाश नकदीकरण व पेंशन के बीमांकिक मूल्यांकन दायित्व के कारण प्रावधान	486.44	इस प्रावधान का सृजन लेमा 15 लेखांकन मानक की अनुपालना में है, जो अनिवार्य है।
स	कुल लागत	870.99	
3	प्रशासन एवं अन्य व्यय	69.17	
4	घटायें – प.एवं.सं. का पूंजीकरण	**(173.98)**	
5	निवल प.एवं.सं. व्यय (1+2+3+4)	**811.43**	

1.3 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अन्तर्गत प.एवं.सं. व्ययों के लिए विहित प्रतिमान, परिसम्पत्तियों जैसे प्रसारण लाइनों की परिपथ किमी लम्बाई, मेवोए में सब–स्टेशन क्षमता तथा भिन्न–2 वोल्टेज स्तरों पर फीडर खण्डों पर आधारित है। विनियमों के विहित प्रतिमानों के अनुसार विव 2014–15 के लिए प्रासमिक प.एवं.सं. व्यय दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के राविविआ के आदेश में अनुज्ञात 707.20 करोड़ रू. के प्रति 706.89 करोड़ रू. है। प्रासमिक प.एवं.सं. व्ययों की विस्तृतियां नीचे सारणी में दी गयी हैं :

सारणी 2 : विव 2014–15 के लिए प्रसारण के प्रासमिक प.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	परिपथ आधार (सर्किट किमी)				एमवीए आधार	फीडर खण्ड आधार			
	765 केवी	400 केवी	220 केवी	132 केवी		765 केवी	400 केवी	220 केवी	132 केवी
प्रारम्भिक शेष (अप्रेल 15)	425.438	3278.372	12235.754	15153.287	53249.00	0	42	612	2222
विव 2014--15 के दौरान परिवर्धन	0.000	0.000	976.129	444.928	10130.00	12	29	48	128
विव 14–15 के दौरान विलोपन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0

अन्तिम शेष	425.438	3278.372	13211.883	15598.215	63379.00	12	71	660	2350
वर्ष के दौरान औसत	425.438	3278.372	12723.819	15375.751	58314.00	6	57	636	2286
विव 14–15 के लिए दरें (लाख रू./सर्किट किमी/एमवीए/बे)	1.57	0.990	0.390	0.230	0.61	91.94	61.29	8.54	5.80
विव 14–15 के लिए प्रासमिक प.एवं.सं. लागत	667.938	3245.588	4962.289	3536.423	35571.540	551.64	3462.885	5431.44	13258.80
कुल प्रासमिक प.एवं.सं. लागत (लाख रू.)	70688.54								
कुल प्रासमिक प.एवं.सं. लागत (करोड़ रू.)	706.89								

1.4 क्योंकि राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार प.एवं.सं. व्यय नियंत्रणीय है, परिकलित किया गया लाभ/हानि राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 9 के अनुसार प्रतिधारित किया जाना है, तथापि इस मामले में प्रासमिक प.एवं.सं. व्यय को ट्रयूअप किये जाने पर विचार किया गया है।

सारणी 3 : विव 2014–15 के लिए ट्रयूअप हेतु माने जाने वाले प.एवं.सं. व्यय

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	वास्तविक	प्रासंमिक	लाभ/हानि	हिस्सा	निवल पात्रता
विव 2014–15 के लिए कुल प.एवं.सं. व्य	811.43	706.89	(104.54)	0.00	706.89

1.5 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 20 के अनुसार साम्या पर प्रतिफल (साप्र) निवेशित साम्या पर 15.5 प्रतिशत के रूप में अनुज्ञात किया जाता है। तथापि, विव 14–15 के लिए राविप्रनि ने, जैसाकि दिनांक 09.10.2014 के आदेश में माननीय आयोग ने अनुज्ञात की है, 138.99 करोड़ रू. का ही दावा किया है। साम्या पर प्रतिफल की गणना की विस्तृतियां नीचे सारणी में दर्शायी गयी है :

सारणी 4 : विव 15 के लिए प्रसारण हेतु साम्या पर प्रतिफल (करोड़ रू.)

क्र. सं.	विशिष्टियां	प्रतिशत	विव 15	
			राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	विव 15 अंकेक्षित लेखे
1	वर्ष के प्रारम्भ में साम्या		2631.95	2917.93
2	वर्ष के अन्त में साम्या		2927.58	3287.93
3	वर्ष के दौरान औसत साम्या		2779.77	3102.93
4	साम्या पर प्रतिफल	5%	138.99	138.99
5	साम्या पर प्रतिफल (तुलन पत्र के अनुसार वास्तव में दावा की गयी)			**138.99**

1.6 कार्यशील पूंजी पर ब्याज प्रासमिक परिकलनों से कम है और उसे राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 27(2) के अनुसार वास्तविक + लाभ के 50 प्रतिशत पर अनुज्ञात किया जाता है। विव 2014–15 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज 13.09 करोड़ रू. है। परन्तु नीचे सारणी के अनुसार कार्यशील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज 51.47 करोड़ रू. है। उपरोक्त विनियम को ध्यान में रखते हुये ब्याज की पात्रता 32.28 करोड़ रू. की होती है।

सारणी 5 : विव 2014– 15 के लिए अनुमोदित/प्रासमिक कार्यशील पूंजी–प्रसारण

(करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	अनुमोदित	प्रासमिक/पात्रता
1	प.एवं.सं. व्यय (प्रतिमानानुसार)	58.93	58.91
2	संधारण स्पेयर्स (प्रतिमानानुसार)	106.08	106.03
3	लक्ष्य उपलब्धता पर प्राप्यतायें (प्रतिमानानुसार)	255.58	264.39
4	घटायें– बैंक गारण्टी के रूप में धारित प्रतिभूति को छोड़कर प्रयोक्ताओं से प्रतिभूति के रूप में धारित राशि	67.94	7.76
5	प्रतिमान के अनुसार अपेक्षित कुल कार्यशील पूंजी	352.65	421.57
6	ब्याज दर (प्रतिमानानुसार)	12.21%	12.21%
7	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	43.06	51.47
8	विव 14–15 में कार्यशील पूंजी पर संदत्त वास्तविक ब्याज		13.09
9	कार्यशील पूंजी में लाभ		38.38
10	कार्यशील पूंजी पर माना जाने वाला ब्याज (वास्तविक + लाभ का 50 प्रतिशत)		**32.28**

1.7 विव 15 के लिए अंकेक्षित लेखों पर आधारित प्रसारण खण्ड की समग्र राजस्व आवश्यकता का सारांश, विव 2017 के लिए दायर की जा रही प्रसारण खण्ड की याचिका के प्रपत्र टी–1 में दर्शायी गयी है। राविविआ के दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के आदेश में विव 15 के लिए प्रसारण खण्ड के लिए अनुमोदित व्यय तथा विव 15 के अंकेक्षित लेखों पर आधारित वास्तविक व्यय का सारांश नीचे सारणी में दर्शित है। राविविआ के दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के आदेश से विचलनों को अनुलग्नक "ई" पर प्रपत्र 12 में विश्लेषित किया गया है।

सारणी 6 : विव 15 के लिए प्रसारण व्ययों का ट्रयूअप

(करोड़ रू.)

क्र. सं.	विशिष्टियां	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	अंकेक्षित लेखे विव 15	विनियमों के अनुसार माने वाले वाला	लाभ / हानि (–)
1	परिचालन एवं संधारण व्यय	707.20	811.43	706.89	0.31
2	ह्रास	446.19	625.26	625.26	(179.07_
3	ब्याय तथा वित्त प्रभार (धटायें– पूंजीकरण)	804.82	745.20	745.20	56.92
4	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	43.05	13.09	32.28	10.76
5	साम्या पर प्रतिफल	138.99	138.99	138.99	(0.00)
6	निवल पूर्वावधि व्यय, अन्य व्यय, वैट प्रभार	0.00	10.69	10.69	(10.69)
7	उक्षेभाप्रेके – वीएआर प्रभार	25.00	0.01	0.01	24.99
8	विविध हानियां तथा डूबत कर्ज अपलेखन	0.00	211.29	211.29	(211.29)
9	बीमा प्रभार	0.42	0.32	0.32	0.10
10	संदत्त आयकर / प्रावधान	0.00	1.30	1.30	(1.30)
11	विव 2014–15 के लिए कुल व्यय	2165.66	2557.58	2472.23	(306.57)
12	वार्षिक राजस्व आवश्यकता विव 2014–15	**2165.66**	**2557.58**	**2472.23**	**(306.57)**

1.8 प.एवं.सं. व्यय प्रासमिक परिकलनों के अनुसार 706.89 करोड़ रू. की दर पर माने गये हैं।

1.9 ऋणों पर वास्तविक ब्याज तथा वित्त प्रभार अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार, राविविआ द्वारा दिनांक 09.10.2014 के आदेश द्वारा अनुज्ञात किये गये 804.82 करोड़रू. के प्रति 745.20 करोड़ रू. हैं। बैंक/संस्थावार विस्तृतियां, विव 17 के लिए दायर की जा रही याचिका के साथ संलग्न प्रपत्र टी 4.1 में उपलब्ध हैं।

1.10 कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर वास्तविक ब्याज राविविआ द्वारा दिनांक 09.10.2014 के आदेश से अनुज्ञात किये गये 43.09 करोड़ रू. के प्रति 13.09 करोड़ है। तथापि, यह विनियमानुसार 32.28 करोड़ रू. माना गया है।

1.11 तथापि, विव 15 के लिए ह्रास प्रभार राविविआ द्वारा दिनांक 09.10.2014 के आदेश द्वारा अनुमोदित 446.19 करोड़ रू. के प्रति 625.26 करोड़ रू. पर उच्चतर है। विस्तृतियां विव 17 के लिए दायर की जा रही याचिका के साथ संलग्न प्रपत्र टी--3.1 में उपलब्ध है।

ह्रास प्रभार का परिकलन टैरिफ विनियम, 2014 में निर्धारित दरों तथा कार्य विधि पर किया गया है।

1.12 विव 2014--15 के लिए 10.69 करोड़ रू. का पूर्वावधि व्यय, पूर्वावधि के राजस्व तथा पूर्वाधि व्ययों यथा पिछले वर्ष से सम्बन्धित ब्याज आय, अन्य अधिक प्रावधान का क्रेडिट, अन्य आय के डेबिट, पिछले वर्षों में विद्युत क्रय हेतु कम प्रावधान, ह्रास का कम प्रावधान, ब्याज तथा वित्त प्रभार, प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय, पिछले वर्षों से सम्बन्धित अन्य प्रभार आदि विभिन्न मदों का निवल है।

1.13 अन्य मदों पर विव 2014–15 के दौरान वास्तविक व्यय राविविआ के दिनांक 09.10.2014 के आदेश द्वारा अनुमोदित 25 करोड़ रू. के प्रति 0.01 करोड़ रू. है।

1.14 विव 15 के लिए बीमा प्रभार राविविआ के दिनांक 09.10.2014 के आदेश द्वारा अनुज्ञात 0.42 करोड़ रू. के प्रति 0.32 करोड़ रू. है।

1.15 211.29 करोड़ रू. की राशि विविध हानियों तथा अपलिखित डूबत कर्जों हेतु है। इसमें 200 करोड़ रू. निदेशक मण्डल की दिनांक 28.01.2015 को हुयी 229 वीं बैठक के निर्णय (प्रतिलिपि संलग्न) की अनुपालना में अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (अविविनिलि) के हैं।

1.16 1.30 करोड़ रू. का आय कर आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार न्यूनतम एकान्तर कर (न्यूएक) के कारण है।

1.17 विव 2014--15 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों पर आधारित, प्रसारण खण्ड की वास्तविक वार्षिक राजस्व आवश्यकता राविविआ के दिनांक 09.10.2014 के आदेश द्वारा अनुज्ञात 2165.66 करोड़ रू. के प्रति 2472.23 करोड़ रू. परिकलित होती है।

प्रसारण राजस्व प्राप्तियों का ट्रयूअप

1.18 नीचे सारणी, राविविआ के दिनांक 09.10.2014 के आदेश में अनुमोदित राजस्व **प्राप्तियों** तथा अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार विव 15 के दौरान प्रसारण खण्ड के लिए वास्तविक प्राप्त राजस्व दर्शाती है।

सारणी 7 : विव 15 के लिए अनुमोदित बनाम वास्तविक राजस्व प्राप्तियां (करोड़ रू.)

क्र. सं.	विशिष्टियां	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	अंकेक्षित लेखे विव 15	लाभ/हानि (–)
1	गैर टैरिफ आय	120.00	124.56	4.56
2	अल्पकालीन खुले अभिगमन से आय	1.00	27.88	26.88
3	दीर्घकालीन खुले अभिगमन से आय	76.02	168.49	92.47
4	डिस्कॉमों से वसूली हेतु निवल प्रसारण प्रभार	1968.64	1720.11	(248.53)
5	अन्य विविध आय	0.00	69.64	69.64
6	पूंजी लेखे पर सहायिकियां व अनुदान (गैर–विनियामिकी)	0.00	4.41	4.41
7	विव 2014–15 के लिए कुल राजस्व	2165.66	2115.09	(50.57)
8	विव 15 के लिए कुल व्यय (सारणी 6)	2165.66	2472.23	(306.57)
9	वास्तविक राजस्व व व्यय (7–8) पर आधारित अग्रेनीत किये जाने वाला निवल अधिशेष (+)/धाटा (–)			**(357.14)**

1.19 गैर टैरिफ़ आय वाराआ आदेश में अनुमोदित 120.00 करोड़ रू. के प्रति 124.56 करोड़ रू. पर उच्चतर है।

1.20 डिस्कॉमों से वसूली, राविविआ के दिनांक 09.10.2014 के आदेश में अनुज्ञात 1968.64 करोड़ रू. के प्रति 1720.11 करोड़ रू. है, जो 248.53 से करोड़ से कम है। 248.53 करोड़ रू. की राशि का (276.56 करोड़ रू. में से प्रसारण भाग) प्रसारण के विव 2014–15 के वार्षिक लेखों के पेज सं. 25 के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 24.3 (बी) के अनुसार दावा नहीं किया गया है।

1.21 अन्य विविध आय 69.94 करोड़ रू. है।

1.22 यह निवेदन है कि लेखांकन मानकों की अनुपालना में, 2014–15 के लिए राविप्रनि के वार्षिक लेखों में 4,86,2,24086/– रूपये पूर्वावधि व्यय को क्रेडिट (अर्थात् पूर्वावधि व्यय कम

कर दिया गया) राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित अन्तरण योजना दिनांक 18.01.2002 के अनुसार पूर्व वर्षों के लिए 2,51,00,00,000/– रूपये की राशि के उपादान के लिए सृजित किये गये दायित्व की, न्यास परिसम्पत्तियों को अन्य उत्तराधिकारी कम्पनियों को अन्तरित कर दिये जाने के कारण, आगे और आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसका प्रत्याहरण कर लिया गया है और वर्ष 2014–15 में पूर्वावधि व्ययों को क्रेडिट कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उपादान के सम्बन्ध में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य, बीमांकिक मूल्यांकनानुसार 31.03.2015 को वर्तमान मूल्य से बढ़ गया है, इसलिए योजना परिसम्पत्तियों की 2352924086 रूपये का निवल अधिक उचित मूल्य लेखा पुस्तकों में उपादान न्यास से वसूली योग्य माना है और पूर्वावधि के व्ययों को क्रेडिट कर दिया गया है।

उपादान न्यास को निवल अधिक उपादान, न्यास परिसम्पत्तियों (अर्थात् 2,35,29,24,006 रूपये) के बराबर की राशि का प्रतिदान राविप्रनि को किये जाने का परामर्श दिया जा रहा है। दूसरी ओर, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2015 को पेंशन के सम्बन्ध में दायित्व का वर्तमान मूल्य, पेंशन हेतु उपलब्ध न्यास परिसम्पत्तियों से अधिक है। इसलिए राविप्रनि पेंशन निधि के पति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए इस राशि का उपयोग करेगा। इस प्रकार 2014–15 के लिए वार्षिक लेखों में पूर्वावधि व्यय को क्रेडिट कर दी गयी 486,29,24,086/– रूपये की राशि (अर्थात् पूर्वावधि व्यय कम कर दिया गया) 2014–15 के दौरान राविप्रनि के लिए वास्तविक रोकड़ प्रवाहों का उत्पादन नहीं कर रही है। यह केवल पुस्त समायोजन है। इसलिए वाराआ के प्रयोजन से 2014–15 के दौरान इसे राविप्रनि को आय नहीं माननी चाहिए।

1.23 तथापि, कुल निवल राजस्व, दिनांक 09.10.2014 के राविविआ के आदेश द्वारा अनुमोदित से 50.57 करोड़ रू. कम था।

प्रसारण खण्ड के लिए **विव 2014–15 में निवल धाटा 357.14 करोड़ रूपये** है।

विव 15 के लिए **राभाप्रेके खण्ड** के लिए **वानिस** का **ट्रयूइंग–अप**

1.24 विव 15 के अंकेक्षित लेखों पर आधारित राभाप्रेके **खण्ड** की **विव** 15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सारांश राभाप्रेके खण्ड की प्रस्तुत की जा रही याचिका के प्रपत्र सं. एस–1 में दिया गया है। दिनांक 09.10.2014 के राविविआ के अनुमोदित आदेश से विचलनों को अनुलग्नक "ए" पर प्रपत्र 12 में विश्लेषित किया गया है।

राभाप्रेके व्ययों का **ट्रयूइंग–अप**

राभाप्रेके **खण्ड** के लिए वाराआ का ट्रयूअप निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत तैयार व विश्लेषित किया गया है :

अ. व्यय का ट्रयूअप

ब. राजस्व प्राप्तियों का ट्रयूअप

1.26 राभाप्रेके व्यवसाय पर वास्तविक प.एवं.सं. व्यय, दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के राविविआ के आदेश में अनुज्ञात 11.52 करोड़ रू. के प्रति 10.46 करोड़ रू. थे।

राभाप्रेके खण्ड के परिचालन एवं संधारण व्ययों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है –

सारणी 8 : विव 15 के लिए राभाप्रेके के वास्तविक प.एवं.सं. व्ययों का ब्यौरा

(करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	अंकेक्षित लेख विव 15
1	मरम्मत एवं संधारण	0.12
2	कर्मचारी व्यय	9.11
3	प्रशासन एवं अन्य व्यय	1.23
4	पेंशन व उपादान के प्रति अतिरिक्त अंशदान	0
5	धटायें – पूंजीकरण	0
	निवल प.एवं.सं. व्य	**10.46**

1.27 राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 20 के अनुसार साम्या पर प्रतिफल (सापप्र) निवेशित साम्या पर 15.5 प्रतिशत के रूप में अनुज्ञात की जाती है। तथापि, विव 14–15 के लिए राविप्रनि ने, जैसाकि दिनांक 09.10.2014 के आदेश में माननीय आयोग ने अनुज्ञात की है, 0.05 करोड़ रू. का ही दावा किया है। साम्या पर प्रतिफल की गणना की विस्तृतियां नीचे सारणी में दर्शायी गयी है :

सारणी 9 : विव 15 के लिए राभाप्रेके की साम्या पर प्रतिफल

(करोड़ रू.)

क्र.सं.	विशिष्टियां	प्रतिशत	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	विव 15 अंकेक्षित लेखे
1	वर्ष के प्रारम्भ में साम्या		1.07	1.07
2	वर्ष के अन्त में साम्या		1.11	1.07
3	वर्ष के दौरान औसत साम्या		1.09	1.07
4	साम्या पर प्रतिफल	5%	0.05	0.054
5	(तुलन पत्र के अनुसार वास्तव में दावा की गयी)			**0.05**

1.28 कार्यशील पूंजी पर ब्याज प्रासमिक परिकलनों से कम है और उसे राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनियम 27(2) के अनुसार वास्तविक + लाभ के 50 प्रतिशत पर अनुज्ञात किया जाता है। विव 2014--15 के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज 0.00 करोड़ रू. है। परन्तु नीचे सारणी के अनुसार कार्यशील पूंजी पर प्रासमिक ब्याज 0.60 करोड़ रू. है। उपरोक्त विनियम को ध्यान में रखते हुये ब्याज की पात्रता 0.30 करोड़ रू. (50 प्रतिशत प्रासमिक ब्याज की हिस्सेदारी) की होती है।

सारणी 10 : विव 2014– 15 के लिए अनुमोदित/प्रासंमिक कार्यशील पूंजी–राभाप्रेके

(करोड़ रू.)

क्र.स.	विशिष्टियां	अनुमोदित	प्रासमिक/पात्रता
1	प.एवं.सं. व्यय (प्रतिमानानुसार)	0.96	0.87
2	संधारण (प्रतिमानानुसार)	1.73	1.57
3	लक्ष्य उपलब्धता पर प्राप्यतायें	3.65	2.47
4		0	0
5	प्रतिमान के अनुसार अपेक्षित कुल कार्यशील पूंजी	6.34	4.91
6	ब्याज दर (प्रतिमानानुसार)	12.21%	12.21%
7	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.77	0.60
8	विव 14–15 में कार्यशील पूंजी पर संदत्त वास्तविक ब्याज		0
9	कार्यशील पूंजी में लाभ		0.60
10	**कार्यशील पूंजी पर माना जाने वाला ब्याज (वास्तविक + लाभ का 50 प्रतिशत)**		**0.30**

1.29 विव 15 के लिए अंकेक्षित लेखों पर आधारित राभाप्रेके खण्ड की समग्र राजस्व आवश्यकता का सारांश, विव 2017 के लिए दायर की जा रही राभाप्रेके खण्ड की याचिका के प्रपत्र एस–1 में दर्शायी गयी है। राविविआ के दिनांक 9 अक्टूबर 2014 के आदेश में विव 15 के लिए राभाप्रेके खण्ड के लिए अनुमोदित व्यय तथा विव 15 के अंकेक्षित लेखों पर आधारित वास्तविक व्यय का सारांश नीचे सारणी में दर्शित है।

सारणी 11 : विव 15 के लिए राभाप्रेके व्ययों का ट्रयूअप

(करोड़ रू.)

क्र. सं.	विशिष्टियां	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	अंकेक्षित लेखे विव 15	विनियमों के अनुसार माने वाले वाला	लाभ/हानि (–)
अ	व्यय				
1	परिचालन एवं संधारण व्यय	11.52	10.46	10.46	1.07
2	ह्रास	0.49	1.12	1.12	-0.62
3	ब्याज प्रभार	0.61	0.36	0.36	0.25
4	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.77	0.00	0.30	0.47
5	राभाप्रेके परिचालनीय व्यय	17.28	7.41	7.41	9.88
6	साम्या पर प्रतिफल	0.05	0.05	0.05	0.00
7	कुल राजस्व व्यय	30.74	19.39	19.69	11.05
8	विव 15 के लिए राभाप्रेके प्रचालनों हेतु कुल राजस्व आवश्यकता	**30.74**	**19.39**	**19.69**	**11.05**

1.30 ऋणों पर वास्तविक ब्याज तथा वित्त प्रभार अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार राविविआ द्वारा दिनांक 09.10.2014 के आदेश द्वारा अनुज्ञात किये गये 0.61 करोड़ रू. के प्रति 0.36 करोड़ रू. हैं। बैंक/संस्थावार विस्तृतियां, विव 17 के लिए दायर की जा रही याचिका के साथ संलग्न प्रपत्र एस 6.1 में उपलब्ध हैं।

1.31 तथापि, विव 15 के लिए ह्रास प्रभार राविविआ द्वारा दिनांक 09.10.2014 के आदेश द्वारा अनुमोदित 0.49 करोड़ रू. के प्रति 1.12 करोड़ रू. पर उच्चतर है। विस्तृतियां विव 17 के लिए दायर की जा रही याचिका के साथ संलग्न प्रपत्र एस–5.1 में उपलब्ध हैं।

1.32 राभाप्रेके परिचालन व्यय दिनांक 09.10.2014 के राविविआ के आदेश द्वारा अनुमोदित 17.28 करोड़ रू. के प्रति 7.41 करोड़ रू. है।

1.33 विव 2014–15 के दौरान राभाप्रेके खण्ड पर उपगत वास्तविक व्यय, दिनांक 09.10.2014 के राविविआ के आदेश द्वारा अनुमोदित 11.05 करोड़ रू. की बचत के परिणामी 30.74 करोड़ के प्रति 19.69 करोड़ रूपये था। कमी राभाप्रेके खण्ड के ब्याज तथा वित्त प्रभारों व राभाप्रेके परिचालन व्ययों से प्राप्त की गयी है।

राभाप्रेके राजस्व का ट्रयूइंग अप तथा निवल ट्रयूइंग अप

1.34 नीचे सारणी राविविआ के दिनांक 09.10.2014 के आदेश में अनुमोदित राजस्व प्राप्तियों तथा अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार विव 15 के दौरान राभाप्रेके खण्ड के लिए वास्तविक प्राप्त राजस्व दर्शाती है।

सारणी 12 : विव 15 के लिए राभाप्रेके राजस्व का ट्रयूइंग अप (करोड़ रू.)

क्र. सं.	विशिष्टियां	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	अंकेक्षित लेखे विव 15	लाभ/हानि (–)
1	गैर टैरिफ आय	1.35	1.45	0.00
2	खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से आय	1.36	12.21	10.85
3	डिस्कॉमों से वसूली हेतु निवल राभाप्रेके के प्रभार	28.03	0.00	(28.03)
4	निवल पूर्वावधि क्रेडिट	0.00	6.08	6.08
5	राभाप्रेके से कुल आय विव 15	30.74	19.74	(11.00)
6	विव 15 के लिए राभाप्रेके के परिचालनों हेतु कुल राजस्व आवश्यकता (सारणी 11)		19.69	11.05
7	अग्रेनीत किये जाने वाला निवल अधिशेष (+)/धाटा (–)			0.05

1.35 डिस्कॉमों से वसूली राविविआ के दिनांक 09.10.2014 के आदेश में अनुज्ञात 28.03 करोड़ रू. के प्रति 0.00 करोड़ रू. है जो 248.53 से करोड़ से कम है। 248.53 करोड़ रू. की राशि (276.56 करोड़ रू. में से राभाप्रेके भाग) राभाप्रेके के विव 2014–15 के वार्षिक लेखों के पेज सं. 25 के वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 24.3 (बी) के अनुसार दावा नहीं किया गया है।

1.36 राजस्व आय, अनुमोदित राजस्व से 11.00 करोड़ रू. से निम्नतर है। तथापि, राभाप्रेके खण्ड प्रचालन कुल मिलाकर 0.05 करोड़ रू. के अधिशेष का परिणामी है।

विव 2014–15 में **राभाप्रेके के लिए निवल अधिशेष** 0.05 करोड़ **रू. है।**

राविप्रनि अनुमोदित वाराआ तथा विव 2014–15 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक में अन्तरों का सारांश

1.37 दिनांक 09.10.2014 के आयोग के आदेश द्वारा राविप्रनि की अनुमोदित वाराआ तथा विव 2014–15 के अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक आय तथा व्यय का सारांश नीचे सारांशित है –

सारणी 13 : राविप्रनि की अनुमोदित तथा विव 14–15 के वार्षिक लेखों के अनुसार वास्तविकता का सार

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	व्यय गैप			राजस्व गैप			
खण्ड	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	अंकेक्षित लेखे विव 15	लाभ/ हानि (–)	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	अंकेक्षित लेखे विव 15	लाभ/ हानि (–)	निवल ट्रयूइंग अप गैप
प्रसारण व्यवसाय	2165.66	2472.23	(306.57)	2165.66	2115.09	(50.57)	(357.14)
राभाप्रेके व्यवसाय	30.74	19.69	11.05	30.74	19.74	(11.00)	0.05
योग राविप्रनि	2196.40	2491.92	(295.52)	2196.40	2134.83	(61.57)	(357.09)

1.38 प्रसारण खण्ड तथा राभाप्रेके प्रचालन के अंकेक्षित लेखों पर आधारित व्यय तथा राजस्व का निवल ट्रयूइंग–अप, दिनांक 09.10.2014 के आदेश से आयोग द्वारा अनुमोदित राविप्रनि वाराआ का सार तथा विव 2014–15 के अंकेक्षित वार्षिक लेखों के अनुसार वास्तविक आय तथा व्यय नीचे सारांशित हैं –

सारणी 14 : विव 2014–15 के लिए राविप्रनि का निवल ट्रयूइंग–अप

विशिष्टियां	करोड़ रू.
प्रसारण व्यवसाय (धाटा)	(357.14)
राभाप्रेके व्यवसाय (अधिशेष)	0.05
राविप्रनि का कुल (धाटा)	**(357.09)**

1.39 याचिकाकर्ता ने राविप्रनि के कार्यदक्षता के मापदण्डों के अनुसार 99.75 प्रतिशत की अधिकतम उपलब्धता के अध्यधीन, लक्ष्य उपलब्धता से ऊपर वार्षिक उपलब्धता प्राप्त करने पर डिस्कॉमों तथा खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से, राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार वर्ष 2014–15 के लिए 35.53 करोड़ रू. के प्रोत्साहन का दावा किया है।

डिस्कॉमों तथा दीर्घकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से विव 2014–15 के लिए तन्त्र उपलब्धता के लिए प्रोत्साहन का, नीचे सारणी के अनुसार, दावा किया गया है –

सारणी 15 : विव 2014–15 के लिए डिस्कॉमों से तन्त्र उपलब्धता हेतु प्रोत्साहन

क्र.सं.	विशिष्टियां	करोड़ रू.
1	जयपुर डिस्कॉम	13.99
2	अजमेर डिस्कॉम	9.92
3	जोधपुर डिस्कॉम	11.25
4	दीर्धकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ता	0.37
	योग	**35.53**

विव 2016–17 को अग्रेनीत किये जाने हेतु निवल ट्रयूइंग–अप राशि

1.40 अंकेक्षित लेखों के अनुसार विव 2014–15 में प्रसारण एवं राभाप्रेके व्यवसाय की वाराआ के ट्रयूइंग अप को ध्यान में रखते हुये विव 2016–17 की समग्र राजस्व आवश्यकता को अग्रेनीत की जानी वाली निवल ट्रयूइंग अप राशि नीचे सारणी के अनुसार 357.09 करोड़ रू. परिकलित होती है :

सारणी 16 : विव 2016–17 में अग्रेनीत करने हेतु निवल ट्रयूइंग अप राशि

क्र.सं.	विशिष्टियां	करोड़ रू.
1	प्रसारण व्यवसाय ट्रयूइंग–अप वाराआ धाटा	(357.14)
2	अग्रेनीत किये जाने वाला राभाप्रेके व्यवसाय ट्रयूइंग–अप अधिशेष	0.05
3	**विव 2016–17 में अग्रेनीत हेतु निवल ट्रयूइंग–अप राशि**	**(357.09)**

1.41 याचिकाकर्ता माननीय आयोग से विव 2016–17 में अग्रेनीत किये जाने हेतु 357.09 करोड़ रूपये को धाटे के रूप में निवल ट्रयूइंग–अप अनुज्ञात करने का निवेदन करता है :

विव 2014–15 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षान्तर्गत प्रार्थना

याचिकाकर्ता माननीय आयोग से निवेदन करता है :–

i. राविप्रनि के विव 15 के अंकेक्षित लेखों के आधार पर विव 15 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के ट्रयूइंग–अप पर वि 2016–17 की वाराआ को, राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 के विनिपयम 8(6) के अन्तर्गत अग्रेनीत किये जाने वाले संचित अधिशेष/धाटे का विनिर्धारण करने का।

ii. डिस्कॉमों को सारणी 15 के अनुसार प्रोत्साहन का भुगतान करने के निर्देश देने का।

iii. हमें अतिरिक्त डैटार तथा सूचना प्रस्तुत करना तथा/या प्रस्तुत सूचना को आशोधित करना, अनुज्ञात करने का,

iv. तथा प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों के अनुसार उचित व उपयुक्त माने जाने वाले ऐसे आदेश तथा अग्रेतर आदेश पारित करने का।

भाग – 2

विव 2016–17 के लिए

समग्र राजस्व आवश्यकता

तथा

प्रसारण प्रभार

डिस्कॉमों तथा खुले अभिगमन हेतु प्रसारण की वाराआ तथा टैरिफ

2.1 याचिका का यह भाग, विव 2015–16 के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित दीर्घकालीन प्रयोक्ताओं से वार्षिक प्रसारण प्रभारों (वा.प्र.प्र.) तथा विद्युत विनिमय व द्विपक्षीय संव्यवहारों के माध्यम से अल्पकालीन खुले अभिगमन संव्यवहारों के लिए प्रभारों की वसूली हेतु प्रसारण की सराआ तथा टैरिफ को समाविष्ट करता है।

राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र

2.2 याचिकाकर्ता ने राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र के माध्यम से प्राथमिक रूप से डिस्कॉमों तथा अन्य दीर्घकालीन उपभोक्ताओं के लिए विद्युत का प्रसारण हाथ में ले रखा है तथा यदि कोई अधिशेष रहता है तो वह अल्पकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए है। नीचे सारणी, माननीय आयोग द्वारा प्रसारण टैरिफ के विनिर्धारण हेतु वाराआ आदेशों में अनुमोदित वर्षवार प्रसारण मे.वा. दर्शाती है। राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर ऐसे वर्षों के दौरान हुयी वास्तविक चरम मांग भी इंगित की गयी हैं।

सारणी 17: राविप्रनि के राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर विद्युत प्रसारण

विशिष्टियां	विव 12	विव 13	विव 14	विव 15	विव 16
राविवि वाराआ आदेश तिथि	23 दिस. 11	10 जन. 13	9 जन. 14	9 अक्टू. 14	14 अग. 15
डिस्कॉमों के लिए प्रसारण	8927	9122	10360	11017	12594.00
खुले अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए प्रसारण	240	274	281	425.42	425.42
राविप्रनि का कुल राज्यान्तरिक प्रसारण	9167	9396	10641	11442.42	13019.42
तन्त्र पर वास्तविक चरम	7605	8515	10038	10642	अभी ज्ञात की जानी है।

2.3 डिस्कॉमों ने विव 2016–17 के लिए ऊर्जा आवश्यकता के निम्नलिखित प्रक्षेपण सूचित किये हैं –

सारणी 18: विव 2016–17 के लिए डिस्कॉमों की ऊर्जा आवश्यकता

विव 15 के लिए डिस्कॉमों की ऊर्जा आवश्यकता	दलाइ
जयपुर डिस्कॉम (40 प्रतिशत)	31405
अजमेर डिस्कॉम (28 प्रतिशत)	21984
जोधपुर डिस्कॉम (32 प्रतिशत)	25124
डिस्कॉमों की कुल आवश्यकता	78513

2.4 डिस्कॉमों से प्रक्षेपणों के अनुसार विव 17 के दौरान 12528 मे.वा. की चरम क्षमता की आवश्यकता रहेगी। दीर्घकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं (दीकाखुअउ) के लिए 600 मे.वा. की प्राक्कलित प्रसारण क्षमता को ध्यान में रखते हुये विव 17 के लिए अपेक्षित कुल क्षमता 13128 मेवा होगी। अनुलग्नक "अ" डिस्कॉमों की संवेदित क्षमता को पूरा करने के लिए राविप्रनि प्रसारण तन्त्र द्वारा संचालित प्राक्कलित क्षमता दर्शाता है।

2.5 याचिकाकर्ता, प्रसारण टैरिफ के विनिर्धारण के प्रयोजन से, विव 17 के दौरान नीचे सारणी के अनुसार, विद्युत का प्रसारण, दीर्घकालीन खुले अभिगमन हेतु 600 मेवा सहित, 13128 मेवा होना प्राक्कलित करता है।

सारणी 19: राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर प्रत्याशित विद्युत प्रसारण

क्र.स.	विशिष्टिया	मेवा
1	डिस्कॉमों के लिए विव 17 हेतु मे.वा. नियतन	12528.00
2	दीर्घकालीन खुले अभिगमन (दीकाखुअ) उपभोक्ताओं के लिए मे.वा. नियतन	600.00
3	कुल मे.वा.	13128.00

राविप्रनि तन्त्र **पर ऊर्जा प्रसारण**

2.6 विद्युत विनिमय तथा अन्तर्राज्यीय अल्पकालीन खुले अभिगमन के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों के लिए प्रसारण टैरिफ पैसे/किवाध आधार पर निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हैं। नीचे सारणी वास्तविक ऊर्जा प्रसारण को दर्शाती है।

सारणी 20: राविप्रनि तन्त्र पर डिस्कॉमों को वास्तविक ऊर्जा प्रसारण

ऊर्जा प्राक्कलन	विव 13	विव 14	विव 15	विव 16
वाराआ आदेशानुसार राविप्रनि में तन्त्र पर ऊर्जा प्रसारण–	52477	54615	66895	73810
राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण **तन्त्र** में वास्तविक ऊर्जा	54982.03	60475	67442	

2.7 राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण **तन्त्र पर ऊर्जा प्रसारण**, डिस्कॉमों द्वारा अस्थाई सकल ऊर्जा आवश्यकता के किये गये निर्धारण तथा नीचे सारणी में यथांगित खुले अभिगमन उपभोक्ताओं के कारण, ऊर्जा प्रवाह पर आधारित है :–

सारणी 21: विव 16 व विव 17 के लिए राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर ऊर्जा प्रसारण का निर्धारण (दलाइ)

डिस्कॉमों की सकल ऊर्जा आवश्यकता (दलाइ)	विव 16	विव 17
जयपुर डिस्कॉम	28466	31405
अजमेर डिस्कॉम	19926	21984
जोधपुर डिस्कॉम	22773	25124
डिस्कॉम योग (राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र पर प्रत्याशित ऊर्जा प्रसारण)	71166	78513
खुले अभिगमन के कारण ऊर्जा प्रवाह	2644	3760
कुल ऊर्जा प्रवाह	**73810**	**82273**

2.8 याचिकाकर्ता, विद्युत विनिमय तथा अन्तर्राज्यीय अल्पकालीन खुले अभिगमन के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों के लिए, प्रसारण टैरिफ, विव 17 के लिए 82273 दलाइ के आधार पर प्रस्तावित करता है।

राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तंत्र में प्रसारण हानि

2.9 राज्य ऊर्जा खाते पर आधारित, विव 2015 तथा 16 के दौरान राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र में वास्तविक प्रसारण हानि नीचे दी गयी है –

सारणी 22: राविप्रनि राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र, प्रसारण हानि

वर्ष	वाराआ आदेश में निर्धारित राज्यान्तरिक प्रसारण हानि (%)	राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र, प्रसारण हानि (%)
विव 2014–15	4.20%	4.11%
विव 2015–16	4.15%	4.15% *

* प्रक्षेपित

2.10 विव 17 के लिए में प्रत्याशित राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र प्रसारण हानि स्तर 4.15 प्रतिशत है।

राविप्रनि प्रसारण निवेश तथा वित्त पोषण योजना

2.11 विव 2016–17 के लिए विस्तृत निवेश योजना, राविविआ (निवेश अनुमोदन) विनियम, 2006 की अनुपालना में, राविप्रनि द्वारा राविविआ को पत्र सं. 1299 दिनांक 11.01.2016 से प्रस्तुत कर दी गयी है।

2.12 विव 17 के लिए निवेश तथा संसाधनों के वर्गीकरण के संशोधित संक्षिप्त मद नीचे सारणी में उल्लिखित हैं –

सारणी 23: निवेश तथा वित्त पोषण योजना (करोड़ रू.)

अ. योजना

विशिष्टियां	विव – 17 (प्रक्षेपण)
राविप्रनि का नियोजित निवेश (प्रसारण + राभाप्रेके)	**2380.00**
प्रसारण उआवो कार्य	2345.00
राभाप्रेके कार्य	35.00

ब. संसाधन (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव – 17 (प्रक्षेपण)
प्रत्यक्ष	
सा. बॉण्डस्/ ग्राविनि/ ऊविनि/नाबार्ड/हुडको/वाणिज्यिक बैंक इत्यादि	1170.96
पीएसडीएफ से अनुदान	55.00
राज्य सरकार के माध्यम से	
साम्या	333.00
एसियन विकास बैंक (एडीबी) से ऋण	378.72
केएफडब्ल्यू से ऋण	203.66
राष्ट्रीय क्लीन ऊर्जा निधि (राक्लीऊनि) से एमएनआरई के माध्यम से अनुदान	203.66
कुल संसाधन	**2345.00**

स. कर्ज, साम्या व अनुदान की विस्तृतियां (करोड़ रू.)

क्र.स.	प्रकार्य	ऋण	साम्या	अनुदान	योग
1.	प्रसारण	1753.34	333.00	258.66	2345.00
2.	राभाप्रेके	32.00	3.00	0	35.00
	योग	**1785.34**	**336.00**	**258.66**	**2380.00**

2.13 **निवेश**, नीचे दी गयी विस्तृतियों के अनुसार, विभिन्न नियोजित कार्यों में प्रयुक्त किया जायेगा:–

सारणी – 24: निवेश योजना – भौतिक लक्ष्य

क्र. स.	विशिष्टियां	इकाई	विव 15	विव 16 (प्राक्कलित)	विव 17 (प्रक्षेपित)
1	नयी प्रसारण लाइनों का परिवर्धन	सी.कि.मी.			
अ	765 केवी लाइनें	सी.कि.मी.	0.000	0.00	0.00

ब	400 केवी लाइनें	सी.कि.मी.	0.000	580.00	840.00
स	220 केवी लाइनें	सी.कि.मी.	976.129	545.00	668.00
द	132 केवी लाइनें	सी.कि.मी.	444.928	600.00	551.00
2	**नये सब – स्टेशनों का परिवर्धन**				
अ	765 केवी सब–स्टेशन (सं./मेवोए)	संख्या	2/6000	1/1500	-/-
ब	400 केवी सब–स्टेशन (सं./मेवोए)	संख्या	0	1/945	2/2130
स	220 केवी सब–स्टेशन (सं./मेवोए)	संख्या	8/1320	6/900	8/1020
द	132 केवी सब–स्टेशन (सं./मेवोए)	संख्या	13/612.5	16/475	16/400
3	**ट्रान्सफार्मर क्षमता का परिवर्धन**				
अ	नये ट्रान्सफार्मर क्षमता परिवर्धन	मेवोए	7933	3820	3550
ब	ट्रान्सफार्मर क्षमता का संवर्द्धन	मेवोए	2197.5	1500	1500
स	**ट्रान्सफार्मर क्षमता का परिवर्धन**	**मेवोए**	**10130**	**5320**	**5050**
4	**परिवर्धित फीडर बे की संख्या ****				
अ	765 केवी	संख्या	12	0	0
ब	400 केवी	संख्या	29	8	31
स	220 केवी	संख्या	48	38	61
द	132 केवी	संख्या	128	96	104

राविप्रनि ने प्रसारण परियोजनाओं के लिए सामान्य गेसटेशन अवधि, पहले, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष में क्रमशः 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पूर्णता प्रतिशतता के साथ 3 वर्ष मानी है।

2.14 विव 14 के दौरान सम्पादित ईएचवी कार्यों के बारे में उपलब्धियां अनुलग्नक बी–2 पर संलग्न हैं।

प.एवं.सं. व्यय

2.15 प.एवं.सं. व्यय प्रपत्र टी–2 में, विव 17 के लिए प्रक्षेपित प्रसारण क्षमता तथा नेटवर्क पर प्राक्कलित किये गये हैं। विव 17 के प्रक्षेपणों का निर्धारण, आयोग द्वारा जारी किये गये विनियम 2014 में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार किया गया है।

सारणी – 25: प.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां		विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	प्रासमिक	राविविआ आदेश दिनांक 14.08.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
प.एवं.स. व्यय	707.20	811.43	706.89	830.31	834.17	955.04

ह्रास प्रभार

2.16 ह्रास प्रभार का परिकलन राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 में यथानिर्धारित दरों व कार्यविधि से किया गया है।

2.17 विव 15 के लिए वास्तविक, विव 16 के लिए प्राक्कलित तथा विव 17 के लिए प्रक्षेपित आंकड़े नीचे सारणी में प्रस्तुत हैं :

सारणी – 26: ह्रास प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 14		विव 15		विव 16
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 04.08.215	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
ह्रास	446.19	625.26	493.01	665.38	717.27

2.18 विव 17 के दौरान ह्रास में वृद्धि का प्रमुख कारण, टैरिफ विनियम, 2014 में निर्धारित की गयी गयी दरों तथा कार्यविधि तथा याचिकाकर्ता द्वारा शुरू की गयी निवेश योजना के अनुसार सकल स्थाई सम्पत्तियों का प्राक्कलित परिवर्धन है।

ऋणों, कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार

2.19 प्रसारण प्रकार्य के लिए विव 15 हेतु ब्याज तथा वित्त प्रभारों, विव 16 के लिए प्राक्कलन तथा विव 17 के लिए प्रक्षेपणो की विस्तृतियां नीचे सारणी में प्रस्तुत हैं –

सारणी – 27: ब्याज तथा वित्त प्रभारों की विस्तृतियां

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 04.08.215	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
ऋणों पर ब्याज (घटायें – पूंजीकरण)	765.43	679.94	839.76	740.47	799.61
वित्त प्रभार	39.39	65.26	59.96	65.00	70.00

कुल ब्याज और वित्त प्रभार घटायें पूंजीकरण	804.82	745.20	899.72	805.47	869.61
कार्यशील पूंजी पर ब्याज (प्रतिमानों के अनुसार)	43.05	13.09	54.02	58.07	79.00
कार्यशील पूंजी पर ब्याज सहित कुल ब्याज	847.87	758.29	953.74	863.54	948.61

2.20 निवेश योजना के निधियन हेतु उधारियों के कारण विव 17 के लिए ब्याज भार बढ़ गया है।

2.21 वित्त प्रभारों में प्रत्याभूति प्रभार, वचनबद्धता प्रभार, मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क तथा विधिक प्रभार आदि शामिल हैं। इन प्रभारों को ध्यान में रखते हुये विव 16 तथा विव 17 के लिए वित्त प्रभार क्रमशः 65.00 करोड़ रू. तथा 70.00 करोड़ रू. प्रक्षेपित किये गये हैं।

2.22 कार्यशील पूंजी का परिकलन, प्रतिमानों के अनुसार, प्रपत्र सं. टी–5 पर किया गया है। कार्यशील पूंजी पर ब्याज में वृद्धि, विव 17 के लिए प.एवं.सं. लागत तथा प्राप्यताओं में वृद्धि के कारण है। कार्यशील पूंजी पर ब्याज, भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर में 250 आधार बिन्दु जोड़ने के बाद 12.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर परिकलित किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर विव 2014 के दौरान 10 प्रतिशत थी। तद्नुसार, हमने विनियम के अनुसार सुसंगत वर्ष से पिछले वर्ष के प्रथम छः महीनों के लिए भारित औसत आधार दर, 10 प्रतिशत + 250 आधार बिन्दु पर परिकलित की है। भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर दर्शाते हुये एक विवरण अनुलग्नक – सी पर संलग्न है।

बीमा प्रभार

2.23 विव 17 के लिए बीमा प्रभार, प्रपत्र टी–6 में यथांगित, 0.55 करोड़ रू. माने गये हैं।

अन्य मद

2.24 अन्य मदों के अन्तर्गत व्यय, वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल न किये गये अन्य व्ययों के कारण हैं। विस्तृतियां प्रपत्र टी–7 में दी गयी हैं। क्योंकि व्ययों की प्रकृति व प्रवृति का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अन्य मदों के अन्तर्गत व्ययों को विव 2017 के लिए माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016 के लिए यथोनुमोदित नीचे सारणी में दर्शित रखा गया है।

सारणी – 28: अन्य मद

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 14.8.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
अन्य व्यय, विविध व्यय, पूर्वावधि कर्ज, तथा वीएआर प्रभार, असाधारण मद	25.00	221.99	25.00	25.00	25.00

खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व

2.25 राविप्रनि द्वारा खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से विव 15 के दौरान वार्षिक अंकेक्षित लेखों पर आधारित राजस्व प्राप्तियां, विव 16 के लिए प्राक्कलन तथा विव 17 के लिए प्रक्षेपण नीचे सारणी में दर्शायी गयी हैं। राजस्व का निर्धारण, भविष्यकालिक वर्ष के लिए खुले अभिगमन को विनिहित क्षमता पूर्वधारित करते हुये किया गया है। सामूहिक विद्युत विनिमय संव्यवहारों तथा अन्तर्राज्यीय अल्पकालीन खुले अभिगमन से प्रसारण प्रभारों की वसूली किवाध ऊर्जा आधारित का यथार्थ प्राक्कलन किया जाना कठिन है, इसलिए खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से कुल राजस्व में शामिल किया गया है।

सारणी – 29: अल्पकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 14.8.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से राजस्व	1.00	27.88	1.00	30.00	30.00

गैर टैरिफ आय

2.26 विविध प्राप्तियों, पूर्वावधि आय, विश्व बैंक ऋण पर अन्तरीय ब्याज सहायिकी रद्दी माल की बिक्री, कर्मचारियो, आपूर्तिकारों व संविदाकरों से ऋणों व अग्रिमों पर ब्याज, शीघ्र भुगतान हेतु छूट आदि गैर–टैरिफ स्त्रोतों से राजस्व नीचे सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी – 30: गैर – टैरिफ आय

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 14.8.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
गैर– टैरिफ आय	120.00	124.56	95.00	95.00	104.50

साम्या पर प्रतिफल

2.27 विव 16–17 के लिए साम्या पर प्रतिफल, टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार 15.5 प्रतिशत के स्थान पर 12 प्रतिशत माना गया है। विव 15–16 के लिए साम्या पर प्रतिफल, माननीय आयोग द्वारा पिछले टैरिफ आदेश में यथानुमोदित 8 प्रतिशत की दर पर माना गया है।

सारणी – 31: साम्या पर प्रतिफल (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15	विव 16		विव 17
	वास्तविक	अनुमोदित	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
साम्या पर प्रतिफल (सापप्र)	138.99	271.70	284.51	478.97

विव 16–17 के लिए प्रसारण में निवेश का वित्त पोषण, 10 प्रतिशत – 20 प्रतिशत दर पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गयी साम्या से किया जाना प्रस्तावित है।

प्रसारण के लिए राजस्व आवश्यकता

2.28 विव 17 के लिए प्रक्षेपणों के साथ ही, विव 15 के लिए सदृश वास्तविक तथा विव 16 के लिए प्राक्कलित किये गये आंकड़े नीचे सारणी में दर्शाये गये हैं –

सारणी – 32: प्रसारण हेतु राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)

क्र. स.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष विव 15	चालू वर्ष विव 16		आगामी वर्ष विव 17
		(वास्तविक/ अंकेक्षित)	अनुमोदित	प्राक्कलित	प्रत्याशित
1	2	3	4	5	6
1	परिचालन एवं संधारण व्यय	706.89	830.31	834.17	955.04
2	ह्रास	625.26	493.01	665.38	717.27
3	ब्याज तथा वित्त प्रभार (घटायें– पूंजीकरण)	745.20	899.72	805.47	869.61

4	कार्यशील पूंजी पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	32.28	54.02	58.07	79.00
5	पेंशन व उपादान को अतिरिक्त अंशदान (लेमा–15 के प्रावधानानुसार)	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीमा प्रभार	0.32	0.48	0.48	0.55
7	अन्य मद	221.99	25.00	25.00	25.00
8	कुल राजस्व व्यय	**2331.94**	**2302.54**	**2388.57**	**2646.47**
9	साम्या पर प्रतिफल	138.99	271.70	284.51	478.97
10	संदत्त आयकर	1.30	0.00	0.00	0.00
11	सकल समग्र राजस्व आवश्यकता (8+9+10)	**2472.23**	**2574.24**	**2673.09**	**3125.44**
12	घटायें – गैर–टैरिफ आय	124.56	95.00	95.00	104.50
13	घटायें – खुले अभिगमन उपभोक्ता से आय	27.88	1.00	30.00	30.00
14	विव 2013–14 का ट्रयूअप, अधिशेष		320.73	320.73	
15	विव 2014–15 का ट्रयूअप, (धाटा)				(357.14)
16	समग्र राजस्व आवश्यकता (सराआ)	**2319.79**	**2157.51**	**2227.36**	**3348.08**

विव 16 के लिए प्रसारण व्ययों की समग्र वसूली

2.29 विव 17 के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता 3125.44 करोड़ रू. परिकलित होती है। गैर–टैरिफ आय तथा खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से आय को कम करने तथा ट्रयूइंग अप राशि जोड़ने के पश्चात् वार्षिक प्रसारण प्रभार 3348.08 करोड़ रू. है। तथापि, अन्तर्राज्यीय प्रसारण से 37.98 करोड़ रू. प्राप्य है अतः निवल राजस्व आवश्यकता 3310.10 करोड़ रू. होती है तथा नीचे सारणी के अनुसार रू./किवा/माह के आधार पर निम्नलिखित प्रसारण प्रभार वसूल किया जाना प्रस्तावित है :–

सारणी – 33: विव 17 के लिए प्रसारण प्रभार तथा टैरिफ

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15 प्रक्षेपित
राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)	3348.08
घटायें– अन्तर्राज्यीय प्रसारण लाइनों से राजस्व (करोड़ रू.)	37.98
प्रसारण टैरिफ से निवल राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)	**3310.10**
डिस्कॉमों के लिए मेवा नियतन	12528.00

दीर्घकालीन खुले अभिगमन के लिए मेवा नियतन	600.00
राविप्रनि द्वारा कुल प्रसारण, मे.वा.	13128.00
प्रसारण टैरिफ (रू./किवा/माह)	**210.12**
डिस्कॉमों से वसूल किये जाने वाले प्रसारण प्रभार (करोड़ रू.)	3158.81
दीर्घकालीन खुले अभिगमन से राजस्व वसूली (करोड़ रू.)	151.28

डिस्कॉमों तथा खुले **अभिगमन उपभोक्ताओं से प्रसारण प्रभारों** की वसूली

2.30 राजस्थान सरकार ने दिनांक 18.06.2014 की अधिसूचना द्वारा राज्य/केन्द्रीय/निजी क्षेत्र के भिन्न–भिन्न उत्पादकों के साथ ही अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा यथाविनिर्धारित अवनिहित नियतांश से किसी नियतन तथा द्विपक्षीय विद्युत विनिमय, पवन उत्पादक तथा बॉयोमास आदि से विद्युत का क्रय निम्नलिखित अनुपात में नियतन किया है:–

जयपुर डिस्कॉम	40 प्रतिशत
अजमेर डिस्कॉम	28 प्रतिशत
जोधपुर डिस्कॉम	32 प्रतिशत

2.31 माननीय आयोग अभी तक डिस्कॉमों के लिए प्रसारण प्रभार, संविदित क्षमता पर आधारित, रू./किवा/माह के सन्दर्भ में निर्धारित करता आया है। इसके अतिरिक्त आयोग के आदेशों के अनुसार संवेदित क्षमता में किसी भी प्रकार के विचलन के लिए प्रसारण प्रभार सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा काम में लायी गयी वास्तवितक संवेदित क्षमता पर उद्ग्रहित किये जाने थे। माननीय आयोग द्वारा वाराआ में इस प्रकार का अनुबद्ध किये जाने का परिणाम, माननीय आयोग द्वारा ऐसे वर्ष के लिए अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संवेदित क्षमता में विचलन के कारण, न्यून वसूली या अधिक वसूली होता है। राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 का विनियम 66, नेटवर्क उपयोग प्रभार, पर आधारित संवेदित या आवंटन पर आधारित स्थाई प्रभार के आधार पर प्रसारण प्रभारों की वसूली का प्रावधान करता है। सम्बन्धित डिस्कॉम द्वारा ऐसे वर्ष के लिए वास्तव में उपयोग में लाई गई संवेदित क्षमता पर आधारित प्रसारण प्रभारों की वसूली का प्रावधान किया जाना, वाराआ आदेश में अनुज्ञात, अनुमोदित राजस्व आवश्यकता की न्यून/अधिक वसूली का परिणामी हो रहा है। न्यून/अधिक वसूली की स्थिति को टालने के लिए याचिकाकर्ता, डिस्कॉमों से प्रसारण प्रभार, विनियम 66 (1) (क) में यथोपबन्धित, नीचे सारणी में दर्शित प्रतिशत के आधार पर परिकलित मासिक स्थाई प्रभारों पर आधारित प्रस्तावित कर रहा है।

तथापि, खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से प्रसारण प्रभारों की वसूली, अंकेक्षित लेखों पर आधारित, ट्रयूइंग–अप के अध्यधीन, वास्तविक क्षमता पर रू./किवा/माह या पैसे/किवाध, यथा–स्थिति, आधारित की जाती रहेगी।

सारणी – 34: विव 17 के लिए प्रसारण प्रभार तथा टैरिफ

प्रसारण प्रभारों की वसूली	%नियतन	मेवा नियतन	कुल प्रसारण प्रभार (करोड़ रू.)	मासिक प्रभार (करोड़ रू.)
जयपुर डिस्कॉम	40%	5011.20	1263.52	105.29
अजमेर डिस्कॉम	28%	3507.84	884.47	73.71
जोधपुर डिस्कॉम	32%	4008.96	1010.82	84.23
डिस्कॉमों के लिए कुल प्रसारण प्रभार	100%		3158.81	263.23
खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से वसूली		600.00	151.28	12.61
वार्षिक प्रसारण प्रभार			3310.10	275.84

अल्पकालीन **खुले अभिगमन तथा विद्युत विनिमय संव्यवहारों हेतु प्रसारण प्रभार**

2.32 विद्युत विनिमय के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों हेतु प्रसारण प्रभार पैसे/किवाध के आधार पर प्रस्तावित हैं। आयोग ने विव 13 के लिए अपने वाराआ आदेश दिनांक 10.1.2013 में निर्धारित किया कि अन्तर्राज्यीय तन्त्र का उपयोग करने वाले अल्पकालीन खुले अभिगमन के लिए भी प्रसारण प्रभार पैसे/किवाध के आधार पर होंगे। याचिकाकर्ता, तदनुसार अन्तर्राज्यीय अल्पकालीन खुले अभिगमन ग्राहकों तथा **विद्युत विनिमय** प्रसारण टैरिफ, पैसे/किवाध के रूप में प्रस्तावित कर रहा है।

2.33 विद्युत विनिमय तथा अन्तर्राज्यीय खुले अभिगमन के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों के लिए प्रसारण टैरिफ विव 17 के लिए 82273.00 दलाइ पर आधारित 41.50 पैसे/किवाध परिकलित है।

सारणी – 35: विव 17 के लिए विद्युत विनिमय तथा अल्पकालीन खुले अभिगमन हेतु प्रसारण टैरिफ (करोड़ रू.)

प्रत्याशित ऊर्जा प्रसारण	विव 16
जयपुर डिस्कॉम, मियु	31405.20
अजमेर डिस्कॉम, मियु	21983.64
जोधपुर डिस्कॉम, मियु	25124.16
कुल डिस्कॉम, मियु	78513.00
खुले अभिगमन के कारण ऊर्जा प्रवाह, मियु	3760.00
प्रत्याशित ऊर्जा प्रसारण, मियु	82273.00
डिस्कॉमों तथा खुले अभिगमन के लिए वार्षिक प्रसारण प्रभार	3310.10
विद्युत विनिमय तथा अल्पकालीन खुले अभिगमन हेतु प्रसारण टैरिफ (पैसे/किवाध)	**40.23**

प्रसारण की प्रार्थना

राविप्रनि, माननीय आयोग से विनम्र निवेदन करता है :–

- याचिका तथा संलग्न आरूपों में प्रस्तुत सूचनाओं के आधार पर विव 2016–17 की राजस्व आवश्यकताओं का अनुमोदन करे,
- स्थाई मासिक प्रसारण की डिस्कॉमों से प्रतिशत नियतन के आधार पर तथा खुले अभिगमन उपभोक्ताओं से रू./किवा/माह तथा पैसे/किवाध, जैसी भी स्थिति है, के आधार पर निश्चित वसूली का अनुमोदन करे।
- विव 2016–17 के लिए सामूहिक विद्युत विनिमय तथा अन्तर्राज्यीय अल्पकालीन खुला अभिगमन ग्राहकों के लिए प्रति किवाध के आधार पर प्रसारण प्रभारों की वसूली हेतु टैरिफ का अनुमोदन करे।
- अतिरिक्त आधार सामग्री तथा सूचनायें प्रस्तुत करने तथा/या प्रस्तुत की गई सूचनाओं को आशोधित किया जाना अनुज्ञात करे।
- तथा अन्य ऐसा तथा अग्रेतर आदेश पारित करे, जो प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में उपयुक्त व उचित लगे।

भाग – 3

विव 17 के लिए

राभाप्रेके समग्र राजस्व आवश्यकता

तथा राभाप्रेके प्रभारों की वसूली

भाग–3 विव 17 के लिए राभाप्रेके प्रभारों की वसूली

3.1 राविप्रनि, राजस्थान के राज्य भार प्रेषण केन्द्रों का संचालन कर रहा है तथा इसके लिए राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र के प्रयोक्ताओं से राभाप्रेके के परिचालन में उपगत व्यय की वसूली करना आवश्यक है। राभाप्रेके प्रभार, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, खुले अभिगमन ग्राहकों तथा राविप्रनि के राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र का उपयोग करने वाले/से जुड़े प्रयोक्ताओं से वसूली योग्य होते हैं। याचिका के इस भाग में विव 17 के लिए राभाप्रेके प्रकार्य की वाराआ समाहित है।

राभाप्रेके निवेश एवं वित्त पोषण योजना

3.2 राभाप्रेके में निवेशों का, साम्या तथा ऋणों से निम्नानुसार वित्त पोषण किया जाना अवधारित है :

सारणी – 36: निवेश तथा वित्त पोषण योजना (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 17 (याचित)
अ. निवेश	35.00
ब. स्त्रोत	
कर्ज	32.00
साम्या	3.00

प.एवं.सं. व्यय

3.3 विव 15 के लिए वास्तविक, विव 16 के लिए प्राक्कलित तथा आगामी विव 17 के लिए प.एवं.सं. के प्रक्षेपण नीचे सारणी में दिये गये हैं :–

सारणी – 37: राभाप्रेके प.एवं.सं. व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 14.08.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
प.एवं.सं. व्यय	11.52	10.46	12.67	12.67	13.94

ह्रास प्रभार

3.4 ह्रास प्रभार राविविआ टैरिफ विनियम, 2014 में दी गयी ह्रास की दरों तथा कार्यविधि के आधार पर परिकलित किये गये हैं।

3.5 विव 15 के लिए वास्तविक, विव 16 के लिए प्राक्कलित तथा विव 17 के लिए प्रक्षेपित ह्रास प्रभार नीचे सारणी में प्रस्तुत हैं –

सारणी – 38: ह्रास प्रभार (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 14.08.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
ह्रास	0.49	1.12	2.33	2.12	3.97

ब्याज प्रभार

3.6 विव 15 के लिए राभाप्रेके के वास्तविक अंकेक्षित ब्याज प्रभारों, विव 16 के लिए प्राक्कलित तथा विव 17 के लिए प्रक्षेपित की विस्तृतियां नीचे सारणी में प्रस्तुत हैं –

सारणी – 39: राभाप्रेके के लिए ब्याज तथा वित्त प्रभारों की विस्तृतियां

(करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 14.08.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
ब्याज प्रभार	0.61	0.36	3.02	0.94	4.46
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.77	0.30*	0.93	0.62	1.09

* टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार

राभाप्रेके परिचालन व्यय

3.7 राविप्रनि, उक्षेभाप्रेके को एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र (एभाप्रेके) योजना के लिए परिचालन तथा वार्षिकीकृत स्थाई प्रभारों के मद पर, भुगतान कर रहा है। विव 15 के वास्तविक विव 16 के लिए प्राक्कलित तथा आगामी विव 17 के लिए प्रक्षेपित राभाप्रेके परिचालन व्यय नीचे सारणी में दर्शाये गये हैं –

सारणी – 40: राभाप्रेके परिचालन व्यय (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15		विव 16		विव 17
	राविविआ आदेश दिनांक 09.10.2014	वास्तविक	राविविआ आदेश दिनांक 14.08.2015	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
राभाप्रेके परिचालनीय व्यय	17.28	7.41	18.14	17.28	18.14

साम्या पर प्रतिफल

3.8 विव 15–16 के लिए साम्या पर प्रतिफल, टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार 15.5 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत की दर पर तथा विव 16–17 के लिए 12 प्रतिशत की दर पर माना गया है।

सारणी – 41: साम्या पर प्रतिफल (करोड़ रू.)

विशिष्टियां	विव 15	विव 16		विव 17
	वास्तविक	अनुमोदित	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
साम्या पर प्रतिफल (सापप्र)	0.05	1.01	0.53	1.63

विव 16–17 के लिए राभाप्रेके में निवेश को राजस्थान सरकार द्वारा 10 प्रतिशत – 20 प्रतिशत की दर से जाने वाली साम्या से वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है।

राभाप्रेके राजस्व आवश्यकता

3.9 राविप्रनि द्वारा, राभाप्रेके परिचालन के लिए विव 17 हेतु राजस्व आवश्यकता नीचे सारणी में प्रक्षेपित की गयी है :–

सारणी – 42: राभाप्रेके के लिए राजस्व आवश्यकता (करोड़ रू.)

क्र. स.	विशिष्टियां	पिछला वर्ष विव 15	चालू वर्ष विव 16		आगामी वर्ष विव 17
		(वास्तविक / अंकेक्षित)	अनुमोदित	प्राक्कलित	प्रक्षेपित
1	2	3	4	5	6
1	व्यय				
	परिचालन व्यय				
i)	कर्मचारी व्यय	9.11	10.75	10.75	11.83

ii)	प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय	1.23	1.75	1.75	1.93
iii)	मरम्मत एवं संधारण व्यय	0.12	0.17	0.17	0.18
iv)	ह्रास	1.12	2.33	2.12	3.97
v)	ब्याज तथा वित्त प्रभार	0.36	3.02	0.94	4.46
vi)	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	0.30*	0.93	0.62	1.09
vii)	राभाप्रेके परिचालनीय व्यय	7.41	18.14	17.28	18.14
viii)	साम्या पर प्रतिफल	0.05	1.01	0.53	1.63
2	**कुल राजस्व व्यय**	**19.69**	**38.10**	**34.16**	**43.24**
3	घटायें – गैर टेरिफ आय	1.45	1.55	1.55	1.63
4	घटायें – खुले अभिगमन से आय	12.21	0.51	0.21	0.21
5	विव 13–14 का ट्रयूअप		18.38	18.38	
6	विव 14–15 का ट्रयूअप				0.05
7	समग्र राजस्व **आवश्यता**	**6.03**	**17.66**	**14.02**	**41.36**

* टैरिफ विनियम, 2014 के अनुसार

राभाप्रेके व्ययों की वसूली

3.10 राविविआ (टैरिफ के निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2014 के अनुसार तन्त्र परिचालन तथा शिड्यूलिंग प्रभार के प्रति राविप्रनि के राज्यान्तरिक प्रसारण तन्त्र से जुड़े डिस्कॉमों तथा खुले अभिगमन ग्राहकों से राभाप्रेके व्यय वसूल किये जाने हैं। आयोग के आदेशों/निर्देशों के अनुसार राभाप्रेके प्रभार, स्थाई मासिक प्रभार के रूप में वसूल किये जाते हैं और उन्हें नीचे सारणी में दर्शाया गया है –

सारणी – 43: विव 17 के लिए राभाप्रेके प्रभार

विशिष्टियां	विव 17
	प्रक्षेपित
राभाप्रेके व्यय (करोड़ रू./वर्ष)	41.36
वसूल किये जाने वाले वार्षिक प्रभार (करोड़ रू./वर्ष)	41.36
प्रतिमाह राभाप्रेके प्रभार (लाख रू./माह)	3.45
विद्युत प्रसारण मेवा	13128.00
प्रतिमाह राभाप्रेके प्रभार (रू./किवा/माह)	2.63

राभाप्रेके की प्रार्थना :–

राविप्रनि, माननीय आयोग से विनम्र निवेदन करता है –

- राविप्रनि द्वारा संचालित राभाप्रेके की विव 2016–17 के लिए राजस्व आवश्यकता अनुमोदित करने का,
- विव 2016–17 के लिए राभाप्रेके प्रभार अनुमोदित करने तथा उनकी डिस्कॉमों व अन्य दीर्घकालीन प्रयोक्ताओं एवं खुले अभिगमन ग्राहकों से मासिक आधार पर वसूली अनुमोदित करने का,
- अतिरिक्त आधार सामग्री तथा सूचना प्रस्तुत करने तथा/या प्रस्तुत सूचना को आशोधित करना अनुज्ञात करने का तथा
- प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये ऐसे अन्य तथा उपयुक्त व उचित समझे जाने वाले आदेश पारित करने का।

भाग – 4

राविविआ द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 14 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट

टैरिफ आदेश दिनांक 14.08.2015 में आयोग द्वारा जारी किये गये **निर्देशों** की अनुपालना की स्थिति

क्र. सं.	पैरा सं.	आयोग की प्रेक्षितियां/के निर्देश	राविप्रनि द्वारा की गयी अग्रेतर कार्यवाही
1	4	आयोग ने याचिकाकर्ता की प्रस्तुत का संज्ञान लिया तथा याचिकाकर्ता को डिस्कॉमों तथा दीर्घकालीन खुले अभिगमन उपभोक्ताओं के साथ प्रसारण तन्त्र अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने में शीध्रता बरतने के निर्देश दिये जाते है।	राविप्रनि ने दिनांक 23.11.2015 के पत्र द्वारा उनसे सम्बन्धित शेष रही सूचनायें और भरने के लिए डिस्कॉमों (मं.अ. राडिविक्रके) को प्रसारण तन्त्र अनुबन्ध का प्रारूप भिजवा दिया है और माननीय आयोग के **निर्देशों** की अनुपालना करने के लिए उसे शीध्र निष्पादित करने का आग्रह कर दिया है। दिनांक 22.12.2015 तथा 19.01.2016 के हमारे पत्रों द्वारा डिस्कॉमों को प्र.त.अ. निष्पादित करने के लिए पुनः अनुरोध कर दिया गया है, परन्तु उनका प्रत्युत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।
2	213 व 248	राविप्रनि को विव 2011–12 तथा विव 2012–13 के लिए पहले से जमा करवाई गयी राशि का समायोजन करने के पश्चात् 3 माह की अवधि के अन्दर- अन्दर यह राशि पेंशन तथा उपादान न्यास को जमा करवाकर आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है। राविप्रनि को आगे और निदेश दिये जाते हैं कि भविष्य में ट्रयूअप याचिका प्रस्तुत करते समय पेंशन व उपादान न्यास को जमा करवायी गयी राशि इंगित करते हुये याचिका के साथ एक प्रमाण पत्र संलग्न करे। राविप्रनि को निधियों के अन्तरण के बाद अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।	विव 2014–15 के लिए टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा जारी किये **गये** निर्देशों की अनुपालना में 450 करोड़ रू. की राशि पेंशन एवं उपादान न्यासों को पहले से ही मार्च, 2015 में जमा करवा दिये जाने के अलावा विव 2011–12 तथा विव 2012–13 के लिए 55.98 करोड रू. की राशि भी पहले ही जमा करवा दी है। 109.28 करोड़ रू. की शेष राशि रोकड द्रवता समस्या हल होते ही चालू वर्ष अर्थात् 2015–16 में न्यास में जमा करवा दी जायेगी।